रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 74] प्रयागराज, शनिवार, 15 अगस्त, 2020 ई० (श्रावण 24, 1942 शक संवत्) [संख्या 32

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	869–878	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	597–607	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	139–143	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	395–415	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

14 जुलाई, 2020 ई0

सं0 1087/दो-1-2020-19/1(4)/2010—उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 जुलाई, 2020 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे :

1—श्री महेन्द्र कुमार, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2003)

2—श्री सन्तोष कुमार राय, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2005)

आज्ञा से,
धनन्जय शुक्ला,
विशेष सचिव।

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

04 जून, 2020 ई0

सं0 184/दो-4-2020-26/2(5)/2011—उप निबन्धक (एम), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1939/IV-2718/एडमिन (ए), दिनांक 06 फरवरी, 2020 के क्रम में श्रीमती अनुपमा गोपाल निगम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज, बाराबंकी द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से क्रमशः वर्ष, 1991 व 2003 में अर्जित एल0एल0एम0 एवं एल0एल0डी0 डिग्री/उपाधि को उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने एवं उनके नाम के पहले डा0 लिखे जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

सं0 336/दो-4-2020-26/2(5)/2011—संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1)/उप निबन्धक (एम), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1)/उप निबन्धक (एम0), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—संजय राज पाण्डेय, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बिल्सी-बदायूं	संख्या 15750/IV-4532/एडमिन (ए) दिनांक 02-11-2019	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	एल0एल0एम0	2017
2	शोभा भाटी, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), आगरा	संख्या 1527/IV-4534/एडमिन (ए-1) दिनांक 29-01-2020	एमिटी विश्वविद्यालय, उ0प्र0	एल0एल0एम0	2018
3	यशपाल, एडिशनल चीफ जूडीशियल मजिस्ट्रेट, बलिया	संख्या 2420/IV-3907/एडमिन (ए-1) दिनांक 14-02-2020	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	एल0एल0एम0	2010
4	आशीष कुमार राय, एडिशनल चीफ जूडीशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 3, वाराणसी	संख्या 3332/IV-4032/एडमिन (ए-1) दिनांक 29-02-2020	दिल्ली विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2013
5	नरेश जैन, सेवानिवृत्त डिस्ट्रिक्ट जज, हरदोई	संख्या 11478/IV-1773/एडमिन (ए-1) दिनांक 22-09-2019 एवं संख्या 3674/IV-1773/एडमिन (ए-1) दिनांक 05-03-2020	मेरठ विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	1979

आज्ञा से,
अरविन्द मोहन चित्रांशी,
विशेष सचिव।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

(अधिष्ठान अनुभाग)

विज्ञप्ति / प्रकीर्ण

16 जून, 2020 ई0

सं0 558 / वि0स0 / अधि0 / 6 / 97टी0सी0–विज्ञप्ति प्रकीर्ण संख्या 460 / वि0स0 / अधि0 / 04 / 87, दिनांक 01 जून, 2020 द्वारा श्रीमती मुन्नी देवी, विशेष सचिव के दिनांक 31 मई, 2020 के अपरान्ह से सेवा निवृत्त हो जाने के फलस्वरूप रिक्त विशेष सचिव के एक पद एवं उसकी श्रृंखला में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है :

क्र0 सं0	नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद	सातवें वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल
1	श्री अशोक कुमार, संयुक्त सचिव	विशेष सचिव	13 A
2	श्रीमती उमेश सिंह, उपसचिव	संयुक्त सचिव	13

सं0 559 / वि0स0 / अधि0 / 6 / 97टी0सी0–विज्ञप्ति प्रकीर्ण संख्या 558 / वि0स0 / अधि0 / 06 / 97, दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा श्रीमती उमेश सिंह, उपसचिव की संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप रिक्त उपसचिव के एक पद पर एवं उसकी श्रृंखला में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है :

क्र0 सं0	नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद	सातवें वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल
1	श्रीमती मीना अग्रवाल, अनु सचिव	उपसचिव	12
2	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, अनुभाग अधिकारी	अनु सचिव	11
3	श्री विवेक कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी	अनुभाग अधिकारी	10

2–उक्त पदोन्नतियां कार्यालय ज्ञाप संख्या 193 / वि0स0 / अधि / 105 / 88 टी0सी0, दिनांक 14 फरवरी, 2020 को प्रकाशित की गयी अनंतिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त अन्तिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली ज्येष्ठता सूची के अधीन होगी।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

सेवानिवृत्ति

30 अप्रैल, 2020 ई0

सं0 626(अधिष्ठान) / वि0प0-267 / 84–उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 808 / वि0प0-267 / 84, दिनांक 02 मई, 2019 एवं वैभागिक आदेश संख्या 809 / वि0प0-267 / 84, दिनांक 02 मई, 2019 के क्रम में विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश के निम्न अधिकारी अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 30 अप्रैल, 2020 के अपरान्ह् से सेवानिवृत्त हो गये।

1–श्री अनिल कुमार तिवारी, उपसचिव,

2–श्री श्रवण कुमार, निजी सचिव, श्रेणी–1

स्थायीकरण

09 जून, 2020 ई0

सं0 785/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-3 के पद पर स्थायी श्री राम शंकर सिंह को निजी सचिव श्रेणी-4 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100-2,15,900) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-3 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि में संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-4 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 786/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-2 के पद पर स्थायी श्री राहत अली को निजी सचिव श्रेणी-3 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800-2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-2 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि में संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-3 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 787/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-1 के पद पर स्थायी निम्न कार्मिकों को निजी सचिव श्रेणी-2 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-1 एवं उससे उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि में संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-2 के पद पर स्थायी किया जाता है :

1—श्री राम किशोर सैनी,

2—श्री राजेश कुमार।

सं0 788/वि0प0-56/95 अधि0—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में अपर निजी सचिव के पद पर स्थायी निम्न कार्मिकों को निजी सचिव श्रेणी-1 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में अपर निजी सचिव एवं उससे उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि में संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-1 के पद पर स्थायी किया जाता है :

1—श्री राजपाल यादव,

2—श्री धर्मेन्द्र सिंह,

3—श्री विजेन्द्र सिंह,

4—श्री कमला प्रसाद,

5—श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा।

तैनाती

06 जुलाई, 2020 ई0

सं0 984(अधि0)/वि0प0-78/88—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 263 (अधि0)/वि0प0-267/84, दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा रिक्त हुये विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800-2,09,200) में माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यहित में श्री राम सागर शुक्ल, अनुसचिव एवं समिति अधिकारी को स्थानापन्न रूप से तैनात किया जाता है।

2—श्री शुक्ल के उक्त पद पर पदस्थ होने के फलस्वरूप पोषक संवर्ग में इनका धारणाधिकार सुरक्षित रहेगा तथा तत्संवर्ग में इनको ज्येष्ठतानुसार प्रोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।

3—श्री शुक्ल द्वारा उक्त पद के कार्यों को सम्पादित करने के साथ-साथ अपने वर्तमान पद के कार्यों को सम्पादित किया जाता रहेगा जिसके लिये पृथक् से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

4—श्री शुक्ल को मूल संवर्ग के पद से अगले उच्च पद उपसचिव पर पदोन्नति होने के पूर्व स्थानापन्न रूप से तैनाती के पद से, मूल संवर्ग अनुसचिव एवं समिति अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1
प्रोन्नति
02 जुलाई, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-532/11-2020-107/2019—वाणिज्य कर विभाग के श्री अरविन्द कुमार-III, ज्वाइन्ट कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,700) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 राज्य कर-1-534/11-2020-123/19टीसी—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित डिप्टी कमिश्नर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्वाइन्ट कमिश्नर (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600) में एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है :

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम
1	1804	श्री केदार प्रसाद केशरी
2	1807	श्री राम प्रताप सिंह
3	1808	श्री विजय कुमार - IV

आज्ञा से,
राजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव।

अनुभाग-4
तैनाती
03 जुलाई, 2020 ई0

सं0 रा0क0-4-480/11-2020-30(15)/19टी0सी0—तात्कालिक प्रभाव से श्री अजीत कुमार शुक्ला, नवपदोन्नत सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 को सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, लखनऊ के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 रा0क0-4-481/11-2020-30(15)/19टी0सी0—तात्कालिक प्रभाव से श्री राम किशोर सिंह, नवपदोन्नत सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 को सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, मुरादाबाद के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 रा0क0-4-482/11-2020-30(15)/19टी0सी0—तात्कालिक प्रभाव से श्री राकेश कुमार-I, नवपदोन्नत सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 को सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, कानपुर के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 रा0क0-4-483/11-2020-30(15)/19टी0सी0—तात्कालिक प्रभाव से श्री अवनींद्र कुमार, नवपदोन्नत सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 को सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, वाराणसी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
राजेश कुमार त्यागी,
संयुक्त सचिव।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-2

प्रोन्नति

14 जुलाई, 2020 ई0

सं0 01/2020/1138/दो-2-2020-19/2(26)/2019–विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदया, उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतर वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 8,900 (लेवल-13क) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारीगण को उच्चतम वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 10,000 (लेवल-14) में वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/वर्तमान तैनाती/बैच
1	2
	सर्वश्री–
1	शिव पूजन, अपर आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या, 1997
2	राजकुमार-I, अपर निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, लखनऊ, 1998
3	ज्ञानेन्द्र सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर, 1998
4	जय शंकर दुबे, विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, 1998
5	ओम प्रकाश वर्मा, विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन, 1998
6	अविनाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर, 1998
7	महेन्द्र प्रसाद, सचिव, विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर, 1998
8	रजनीश चन्द्र, अपर निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ, 1998
9	मनोज कुमार राय, निदेशक, महिला कल्याण निदेशालय, लखनऊ, 1999
10	श्रीमती निधि श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आगरा, 1999
11	खेमपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी), लखनऊ, 1999
12	संजय चौहान, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद, 1999
13	सुनील कुमार चौधरी, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, 1999
14	संतोष कुमार शर्मा, नगर आयुक्त, नगर निगम, शाहजहांपुर, 1999
15	अरूण कुमार-II, अपर आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली, 1999
16	श्याम बहादुर सिंह अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), सहारनपुर, 1999
17	उदय सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़, 1999
18	पवन कुमार गंगवार, विशेष सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, 1999
19	बृजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) मथुरा, 1999
20	हरिकेश चौरसिया, विशेष सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, 1999
21	महेन्द्र सिंह, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन, 1999
22	रवीन्द्र पाल सिंह, विशेष सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, 1999
23	अनिल कुमार, सचिव, नेडा, लखनऊ, 1999
24	प्रभूनाथ, मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी, 1999
25	विन्ध्यवासिनी राय, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) कुशीनगर, 1999
26	मनोज कुमार सिंघल, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) बुलन्दशहर, 1999
27	कुंज बिहारी अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) महाराजगंज, 1999
28	अधर किशोर मिश्रा, अपर आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर, 1999
29	सर्वेश कुमार, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण झांसी, 1999
30	मुनीन्द्र नाथ उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) गौतमबुद्धनगर, 1999

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव।

विधायी विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

24 जून, 2020 ई0

सं0 816/79-वि0-1-20-39(अधि0)वि/2017—उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा में भर्ती हेतु विधीक्षण अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रुपये 56,100-1,77,500 (पुराना वेतनमान वेतन बैण्ड-3 के तत्सदृश्य वेतन बैण्ड रुपये 15,600-39,100 तत्सदृश्य ग्रेड वेतन रुपये 5,400) में चयनित एवं संस्तुत कु0 पल्लवी वर्मा पुत्री श्री छोटे लाल वर्मा, एम0एम0डी0-1-186, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ (रजिस्ट्रेशन क्रमांक 53100335029) को विधायी विभाग में विधीक्षण अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में इस शर्त के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उनकी सेवा उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा नियमावली, 2013 सपठित उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उनपर लागू होंगी जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायं। उन्हें उक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत विधीक्षण अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।

2—उन्हें देय वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

3—उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली, 2091 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

4—कु0 पल्लवी वर्मा की स्वास्थ्य परीक्षण से सम्बन्धित आख्या महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उक्त के दृष्टिगत उनकी नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि स्वास्थ्य परीक्षण से सम्बन्धित आख्या प्राप्त होने पर, आख्या में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जायेंगे तो उक्त पद पर की गयी उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

5—उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुये कु0 पल्लवी वर्मा पुत्री श्री छोटे लाल वर्मा को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वे उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधायी विभाग में विधीक्षण अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो इस आदेश की प्राप्ति के एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु विधायी अनुभाग-1, कक्ष संख्या-28ए, द्वितीय तल, बहुखण्डी भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों :

(1) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

(2) उ0प्र0 सचिवालय में कार्यरत किसी व्यक्ति से सम्बन्धित होने की दशा में घोषणा।

(3) अपने कर्जदार होने, न होने की घोषणा।

(4) निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

(5) एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

(6) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा।

(7) शैक्षिण एवं आय सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, चरित्र सम्बन्धी प्रमाण-पत्र दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से हो, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों।

(8) इस आशय का शपथ-पत्र कि स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की आख्या में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जायेंगे तो उक्त पद पर की गयी उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

6—यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कु0 पल्लवी वर्मा पुत्री श्री छोटे लाल वर्मा निर्धारित अवधि में वांछित सूचनाओं/अभिलेखों के साथ कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होती हैं तो यह मानते हुये कि वे नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है, नियमानुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

7—उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,
जे0पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग-1

स्थायीकरण

12 जून, 2020 ई0

सं0 178/22-1-2020-62/2005—कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के अधीन अधीक्षक कारागार के पद पर कार्यरत कार्मिकों को उनकी मौलिक नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने के उपरान्त निम्न तालिका के स्तम्भ-4 में उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित तिथियों से अधीक्षक कारागार के पद पर स्थायी किया जाता है :

क्र0सं0	नाम	मौलिक नियुक्ति/ पदोन्नति की तिथि	स्थायीकरण की तिथि
	श्री/श्रीमती–		
1	अमिता दुबे,	28-07-05	28-07-07
2	विनोद कुमार	31-05-06	31-05-08
3	प्रेमदास सलौनिया	17-02-10	17-02-12
4	शशिकान्त सिंह	11-09-12	11-09-14
5	अनूप सिंह	14-09-12	14-09-14
6	विपिन कुमार मिश्रा	20-09-12	20-09-14
7	रंग बहादुर	08-02-13	08-02-15
8	बृजेन्द्र कुमार सिंह	25-04-13	25-04-15
9	राजीव शुक्ल	25-04-13	25-04-15
10	शशिकान्त मिश्र	28-11-14	28-11-16
11	विजय विक्रम सिंह	29-11-14	29-11-16
12	आलोक सिंह	01-12-14	01-12-16
13	अनिल कुमार राय	28-11-14	28-11-16
14	मिजाजी लाल	28-11-14	28-11-16
15	उदय प्रताप मिश्र	28-11-14	28-11-16
16	राकेश सिंह	28-11-14	28-11-16
17	राजेन्द्र कु0 जायसवाल	28-11-14	28-11-16
18	राकेश कुमार	29-11-14	29-11-16
19	ओम प्रकाश कटियार	29-11-14	29-11-16
20	अरूण कुमार सक्सेना	29-11-14	29-11-16
21	कैलाश पति त्रिपाठी	16-01-16	16-01-18
22	मो0 अकरम	16-01-16	16-01-18
23	पी0पी0 सिंह	16-01-16	16-01-18
24	बी0डी0 पाण्डेय	16-01-16	16-01-18
25	श्री अरूण कुमार सिंह	16-01-16	16-01-18
26	श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा	16-01-16	16-01-18
27	श्री बृजेश कुमार	03-03-16	03-03-18
28	श्री हरिओम शर्मा	29-03-16	29-03-18
29	श्री सीताराम शर्मा	01-04-16	01-04-18
30	श्री प्रशान्त मौर्या	26-07-16	26-07-18
31	श्री अरूण प्रताप सिंह	16-11-16	16-11-18

2—उपरोक्त स्थायीकरण का अधीक्षक कारागारों की पारस्परिक ज्येष्ठता से कोई संबंध नहीं है।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-2

कार्यालय आदेश

03 जुलाई, 2020 ई0

सं0 300डीजी/छः पु0से0-2-20-522(24)/20—जनहित में एतद्द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात का पदनाम परिवर्तित कर ''अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात, सड़क सुरक्षा'' किया जाता है।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुभाग-2

तैनाती

23 जुलाई, 2020 ई0

सं0 896/सोलह-2-2020—प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर), उ0प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ0प्र0 में प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण के 01 पद (ई0पी0सी0 विशिष्टता के साथ) पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल, निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण के 01 पद (ई0पी0सी0 विशिष्टता के साथ) के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित संस्था में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	स्थायी पता	तैनाती का संस्था
1	2	3	4
1	श्री अनस शाहिद मुल्तानी पुत्र श्री शाहिद मुल्तानी	आजाद नगर, राहुखेड़ी कोरा, नजीबाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश पिन कोड—246763	राजकीय पालिटेक्निक, देवरिया

2—संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3—संबंधित अभ्यर्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4—संबंधित अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी।

5—संबंधित अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

आज्ञा से,
सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव।

भाषा विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय ज्ञाप

23 जुलाई, 2020 ई0

सं0 104/इक्कीस-1-2020-1(2)/96-टी0सी0-II–उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी, लखनऊ के उपाध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन किये जाने विषयक पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 208/इक्कीस-1-2019-1(2)/96-टी0सी0-II, दिनांक 26 जुलाई, 2019 के क्रम में निम्नलिखित तालिका में, क्रमांक-2 को अपवर्जित करते हुये अधोवर्णित महानुभावों को उनके नाम के समक्ष अंकित पद पर उनके एतद्पूर्व कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से पुनः एक वर्ष के लिये और क्रमांक-2 पर अंकित महानुभाव को इस आदेश के दिनांक से एक वर्ष के लिये एतद्द्वारा नामित किया जाता हैः

क्र0 सं0	पदधारियों का नाम एवं पता	पदनाम
	श्री/श्रीमती–	
1	नानक चन्द लखमानी, लखनऊ	उपाध्यक्ष
2	माधव लखमानी पुत्र श्री श्रीचंद लखमानी, लखनऊ	सदस्य
3	नरेश कुमार बजाज, गोरखपुर	सदस्य
4	ज्ञान प्रकाश टेकचन्दानी, 1/17/261, रामनगर कालोनी, अयोध्या-224001	सदस्य
5	विजय कुमार पुर्सवानी, 148, लूकरगंज, झूलेलाल नगर, प्रयागराज	सदस्य
6	लालू गंगवानी, 117/58-M ब्लाक काकादेव, कानपुर-208025	सदस्य
7	हेमंत भोजवानी, आगरा	सदस्य
8	लीलाराम सचदेवा, वाराणसी	सदस्य

2–उपर्युक्त नामित महानुभावों के सम्बन्ध में वित्त (सामान्य) अनुभाग 2 के शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के अनुसार यथा प्रावधानित सुविधायें अनुमन्य होंगी।

3–उपर्युक्त नामांकन को राज्य सरकार द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–20 हिन्दी गजट–भाग 1–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 अगस्त, 2020 ई० (श्रावण 24, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), भदोही

06 जुलाई, 2020 ई0

सं0 705/चेचिस निरस्त-आदेश/20–यान संख्या UP66H-0567 Ford Indever जो कि मूल रूप से श्री कमरूद्दीन अंसारी पुत्र अजिमुल्लाह अंसारी, निवासी-भदोही, संतरविदास नगर के नाम से परिवहन कार्यालय भदोही में पंजीकृत है। कथित चेचिस संख्यांक MAT601469FPB10884 Indogo ECS प्रकल्पित यान को व्यपदिष्ट तरीके से प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करके श्री दुर्गेश दूबे पुत्र श्री शोभनाथ दूबे, पता-इस्मइला, बभनौटी, उचेठा, औराई, भदोही द्वारा अपने नाम दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को पृष्ठांकित करा लिया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 31 जनवरी, 2020 को श्री सनातन दूबे पुत्र श्री गौरीशंकर दूबे, निवासी बड़ी बभनौटी, उचेठा, औराई, भदोही के नाम यान का प्रकल्पित अन्तरण करा लिया गया।

अभिलेखीय गवेषणा में यह अभिपुष्ट हुआ है कि कथित चेचिस संख्यांक MAT601469FPB10884 Indigo ECS के प्रथमतः वाहन स्वामी श्री दुर्गेश दूबे पुत्र श्री शोभनाथ दूबे, पता-इस्मइला, बभनौटी, उचेठा, औराई, भदोही द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को व्यपदिष्ट तरीके से पृष्ठांकन अपने पक्ष में कराते हुये पूर्व में पंजीकृत यान संख्यांक UP66H-0567 Ford Indever (L.M.V.) के पंजीयन संख्यांक का प्रयोग प्रकल्पित चेचिस संख्यांकयुक्त Indigo ECS का पृष्ठांकन करा लिया गया है, जो आत्यन्तिक रूप से विधि की दृष्टि से शून्य (Absolutely void in Law) है। इसी कारण श्री दुर्गेश दूबे द्वारा न्यून कालावधि एक माह के भीतर ही दिनांक 31 जनवरी, 2020 को श्री सनातन दूबे पुत्र श्री गौरीशंकर दूबे के पक्ष में यान का अंतरण करा दिया गया। क्रमशः श्री दुर्गेश दूबे व श्री सनातन दूबे द्वारा दुरभि संधि के फलस्वरूप प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation)/प्रवंचना करके Indigo ECS चेचिस संख्यांक MAT601469FPB10884 पर पूर्व पंजीकृत पंजीयन संख्यांक UP66H-0567 का विधि विरुद्ध उपयोग कर लिया गया है, जिसके लिये दोनों वाहन स्वामी आत्यन्तिकतः हकदार (Absolutely entitled) नहीं थे। यह कृत्य विधि के आलोक में पत्रावली के पर्यवेक्षणोपरान्त आत्यन्तिक रूप से निषिद्ध पाया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के संज्ञान में आने पर इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या क्रमशः 591 व 592, दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा कथित दोनों वाहन स्वामियों क्रमशः श्री दुर्गेश दूबे व श्री सनातन दूबे को केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तहत नोटिस प्रेषित करते हुये दिनांक 25 जून, 2020 को सायं 4 बजे परिवहन कार्यालय, भदोही में वांछित 4 प्रपत्रों [1–अपना प्रमाणित/सत्यापित आधार कार्ड, 2–यान के अन्तरण तिथि दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 या उसके पूर्व की एकबारीय कर जमा की रसीद, 3–यान का सत्यापित बीमा, 4–यान का मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 23)] के साथ सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया, किन्तु दोनों वाहन स्वामी नोटिस के सापेक्ष कार्यालय में उपस्थित होने में विफल रहे। दोनों वाहन स्वामी द्वारा किसी विधिवेत्ता/प्रतिनिधि के माध्यम से भी नियत तिथि को कोई प्रत्युत्तर/वांछित जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

विधि के आलोक में पत्रावली में उपलब्ध एतद् सम्बन्धी विलेखों/अनुसांगिक अभिलेखों का सूक्ष्म अनुशीलन किया गया, जिसमें यह उद्घटित हुआ कि यान के कथित स्वामियों द्वारा व्यपदिष्ट तरीके से यान का पृष्ठांकन/अन्तरण अपने पक्ष में करा लिया गया है। कथित दोनों स्वामियों का यह कृत्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित नियमावली, 1989 में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तद्नुरूप नहीं पायी गयी। पत्रावली के विवेचन से स्पष्ट हुआ है कि श्री दुर्गेश दूबे द्वारा पूर्व में पंजीकृत पंजीयन संख्यांक UP66H-0567 Ford Indever (L.M.V.) का दुरूपयोग कर चेचिस संख्यांक MAT601469FPB10884 Indogo ECS का पृष्ठांकन अपने पक्ष में दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 से करा लिया गया। एतद् श्री दुर्गेश दूबे पंजीयन संख्यांक UP66H-0567 के Abuser (दुरूपयोगकर्ता, दुरूपयोक्ता) सिद्ध होते हैं। विधि में अवधारित है कि–'जो विधि के आलोक में कूटकृत है, वह सदा के लिये अकृत एवं शून्य रहेगा तथा इसे किसी भी समय में किसी भी कार्यवाही से विधिक वैधता प्रदान नहीं की जा सकती है' (दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी शिमला बनाम कमला, ए0आई0आर0 2001 एस0सी0 1419, राष्ट्रीय इंश्योरेंस कम्पनी बनाम सत्रो देवी 1997 ए0सी0जे0 111)। इस प्रकार श्री दुर्गेश दूबे द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करते हुये तथ्यों को बेईमानी से छिपाया गया है, एतद् प्रवंचना कारित की गयी है। इस प्रकार विधि के आलोक में दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 से यान के सम्बन्ध में की गयी कथित पृष्ठांकन की कार्यवाही स्वतः अकृत एवं शून्य (विधि शून्य) मानी जायेगी।

अतः मैं अरुण कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, भदोही केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में उपबन्धित विधि शक्तियों का प्रयोग करते हुये विशेष संकल्प (Special Resolution) से एतद्द्वारा प्रकल्पित चेचिस संख्यांक MAT601469FPB10884 Indigo ECS को अकृत एवं शून्य मानते हुये तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 706/चेचिस निरस्त-आदेश/20–प्रश्नगत यान संख्या UP66H-0066 प्रकार Scorpio चेचिस संख्यांक 82J67820 जो कि श्री अरविन्द प्रताप सिंह पुत्र श्री तिलकराज सिंह, निवासी-धनतुलसी भदोही के नाम दिनांक 19 अगस्त, 2009 से परिवहन कार्यालय भदोही में पंजीकृत है, को दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 को चेचिस संख्यांक BB51RLDM508560 HUNDAI CAR व्यपदिष्ट तरीके से प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करके श्री रेहान खान पुत्र श्री यूसुफ, पता-ज्ञानपुर, जनपद भदोही द्वारा अपने नाम पृष्ठांकित करा लिया गया है।

अभिलेखीय विवेचन में यह अभिपुष्ट हुआ है कि कथित चेचिस संख्यांक BB51RLDM508560 HUNDAI CAR के प्रकल्पित वाहन स्वामी श्री रेहान खान पुत्र श्री यूसुफ, पता-ज्ञानपुर, जनपद भदोही द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 को व्यपदिष्ट तरीके से पृष्ठांकन अपने पक्ष में कराते हुये पूर्व में पंजीकृत यान संख्यांक UP66H-0066 प्रकार Scorpio का दुरूपयोग करके कथित संख्यांक BB51RLDM508560 हुण्डई कार पर पृष्ठांकन करा लिया गया है, जो आत्यन्तिक रूप से विधि की दृष्टि से शून्य (Absolutely void in Law) है। फलस्वरूप प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation)/प्रवंचना करके कथित HUNDAI CAR चेचिस संख्यांक BB51RLDM508560 पर पूर्व पंजीकृत चेचिस संख्यांक का विधि विरुद्ध दुरूपयोग कर लिया गया है, जिसके लिये वाहन स्वामी श्री रेहान खान पुत्र यूसुफ आत्यन्तिकतः हकदार (Absolutely entitled) नहीं थे। यह कृत्य विधि के आलोक में पत्रावली के पर्यवेक्षणोपरान्त आत्यन्तिक रूप से विधि विरुद्ध पाया गया है।

विवेचना के अनुक्रम में इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या क्रमशः 599, दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा चेचिस संख्यांक BB51RLDM508560 के कथित वाहन स्वामी श्री रेहान खान को केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तहत नोटिस प्रेषित करते हुये दिनांक 26 जून, 2020 को सायं 4 बजे परिवहन कार्यालय, भदोही में वांछित 4 प्रपत्रों [1–अपना प्रमाणित/सत्यापित आधार कार्ड, 2–यान के दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 या उसके पूर्व की एकबारीय कर जमा की रसीद, 3–यान का सत्यापित बीमा, 4–यान का मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 23)] के साथ सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया, किन्तु वाहन स्वामी नोटिस के सापेक्ष कार्यालय में उपस्थित होने में विफल रहे। वाहन स्वामी किसी विधिवेत्ता/प्रतिनिधि के माध्यम से भी नियत तिथि को कोई प्रत्युत्तर/वांछित जबाब प्रस्तुत नहीं किया।

विधि के आलोक में पत्रावली में उपलब्ध एतद् सम्बन्धी विलेखों/अनुसांगिक अभिलेखों का सूक्ष्म अनुशीलन किया गया, जिसमें यह उद्घटित हुआ कि हुण्डई कार के कथित/प्रकल्पित स्वामी श्री रेहान खान द्वारा व्यपदिष्ट तरीके से यान का पृष्ठांकन अपने पक्ष में दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 को करा लिया गया है। कथित वाहन स्वामी का यह कृत्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित नियमावली, 1989 में उपबन्धित विधि व्यवस्था की अवहेलना है। पत्रावली के पर्यवेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि श्री रेहान खान पूर्व में पंजीकृत चेचिस संख्यांकयुक्त 82J67820 पर धारित पंजीयन संख्यांक UP66H-0066 स्कार्पियो का दुरूपयोग कर चेचिस संख्यांक BB51RLDM508560 हुण्डई कार का पृष्ठांकन अपने पक्ष में दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 से करा लिया गया। एतद् श्री रेहान खान पंजीयन संख्यांक UP66H-0066 के Abuser (दुरूपयोगकर्ता, दुरूपयोक्ता) सिद्ध होते हैं। विधि में अवधारित है कि–'जो विधि के आलोक में कूटकृत है, वह सदा के लिये अकृत एवं शून्य रहेगा तथा इसे किसी भी समय में किसी भी कार्यवाही से विधिक वैधता प्रदान नहीं की जा सकती है' (दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी शिमला बनाम कमला, ए0आई0आर0 2001 एस0सी0

1419, राष्ट्रीय इंश्योरेंस कम्पनी बनाम सत्रो देवी 1997 ए0सी0जे0 111)। इस प्रकार श्री रेहान खान द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 को प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करते हुये तथ्यों को बेईमानी से छिपाया गया है, एतद् प्रवंचना कारित की गयी है।

अतः मैं अरुण कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, भदोही केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में उपबन्धित विधि शक्तियों का प्रयोग करते हुये विशेष संकल्प (Special Resolution) से एतद्द्वारा कथित चेचिस संख्यांक BB51RLDM508560 हुण्डई कार को अकृत एवं शून्य मानते हुये तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 707/चेचिस निरस्त-आदेश/20–पंजीयन संख्यांक UP66H-0077 भदोही कार्यालय, भदोही में आवंटनविहीन है, जिस पर प्रकल्पित चेसिस संख्यांक ME3U3S5C1EL111886 बुलेट मोटर साइकिल को व्यपदिष्ट तरीके से प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करके श्री मंगेश कुमार पुत्र श्री दयाशंकर, पता-शुकुलपुर, सुरियावां, जनपद भदोही द्वारा अपने नाम दिनांक 06 सितम्बर, 2019 को पृष्ठांकित करा लिया गया था।

अभिलेखीय गवेषणा में यह अभिपुष्ट हुआ है कि कथित चेचिस संख्यांक ME3U3S5CIEL111886 बुलेट मोटर साइकिल के प्रकल्पित वाहन स्वामी श्री मंगेश कुमार पुत्र श्री दयाशंकर, पता-शुकुलपुर, सुरियावां, जनपद भदोही द्वारा दिनांक 06 सितम्बर, 2019 को व्यपदिष्ट तरीके से पृष्ठांकन अपने पक्ष में कराते हुये पूर्व में पंजीकृत यान संख्यांक UP66H-0077 का प्रयोग करते हुए प्रकल्पित चेचिस संख्यांकयुक्त ME3U3S5C1EL111886 बुलेट मोटर साइकिल का पृष्ठांकन करा लिया गया है, जो आत्यन्तिक रूप से विधि की दृष्टि से शून्य (Absolutely void in Law) है। श्री मंगेश कुमार पुत्र श्री दयाशंकर, पता-शुकुलपुर, सुरियावां, जनपद भदोही ने प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation)/प्रवंचना करके चेचिस संख्यांक ME3U3S5CIEL111886 बुलेट मोटर साइकिल पर पूर्व रिक्त पंजीयन संख्यांक UP66H-0077 का विधि विरुद्ध उपयोग कर लिया गया है, जिसके लिये श्री मंगेश कुमार पुत्र श्री दयाशंकर, पता-शुकुलपुर, सुरियावां, जनपद भदोही आत्यन्तिकतः हकदार (Absolutely entitled) नहीं थे। यह कृत्य विधि के आलोक में पत्रावली के पर्यवेक्षणोपरान्त आत्यन्तिक रूप से विधि विरुद्ध पाया गया है।

अभिलेखीय विवेचन के अनुक्रम में इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या 603, दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा श्री मंगेश कुमार को केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तहत नोटिस प्रेषित करते हुये यान के भौतिक निरीक्षणार्थ सहित दिनांक 27 जून, 2020 को सायं 4 बजे परिवहन कार्यालय, भदोही में वांछित 4 प्रपत्रों [1–अपना प्रमाणित/सत्यापित आधार कार्ड, 2–यान के पृष्ठांकन तिथि दिनांक 06 सितम्बर, 2019 या उसके पूर्व की एकबारीय कर जमा की रसीद, 3–यान का सत्यापित बीमा, 4–यान का मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 23)] के साथ सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया, किन्तु वाहन स्वामी नोटिस के सापेक्ष कार्यालय में उपस्थित होने में विफल रहे। वाहन स्वामी किसी विधिवेत्ता/प्रतिनिधि के माध्यम से भी नियत तिथि को कोई प्रत्युत्तर/वांछित जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

विधि के आलोक में पत्रावली में उपलब्ध एतद् सम्बन्धी विलेखों/अनुसांगिक अभिलेखों का सूक्ष्म अनुशीलन किया गया, जिसमें यह उद्घटित हुआ कि श्री मंगेश कुमार द्वारा व्यपदिष्ट तरीके से यान का पृष्ठांकन अपने पक्ष में करा लिया गया है। कथित स्वामी का यह कृत्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित नियमावली, 1989 में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तद्नुरूप नहीं पायी गयी। पत्रावली के विवेचन से स्पष्ट हुआ है कि श्री मंगेश कुमार द्वारा पूर्व में रिक्त पंजीयन संख्यांक UP66H-0077 का दुरूपयोग कर चेचिस संख्यांक ME3U3S5C1EL111886 बुलेट मोटर साइकिल का पृष्ठांकन अपने पक्ष में दिनांक 06 सितम्बर, 2019 से करा लिया गया। एतद् श्री मंगेश कुमार पंजीयन संख्यांक UP66H-0077 के Abuser (दुरूपयोगकर्ता, दुरूपयोक्ता) सिद्ध होते हैं। विधि में अवधारित है कि–'जो विधि के आलोक में कूटकृत है, वह सदा के लिये अकृत एवं शून्य रहेगा तथा इसे किसी भी समय में किसी भी कार्यवाही से विधिक वैधता प्रदान नहीं की जा सकती है' (दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी शिमला बनाम कमला, ए0आई0आर0 2001 एस0सी0 1419, राष्ट्रीय इंश्योरेंस कम्पनी बनाम सत्रो देवी 1997 ए0सी0जे0 111)। इस प्रकार श्री मंगेश कुमार द्वारा दिनांक 06 सितम्बर, 2019 को प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करते हुये तथ्यों को बेईमानी से छिपाया गया है, एतद् प्रवंचना कारित की गयी है। इस प्रकार विधि के आलोक में दिनांक 06 सितम्बर, 2019 से यान के सम्बन्ध में की गई कथित पृष्ठांकन की कार्यवाही स्वतः अकृत एवं शून्य (विधि शून्य) मानी जायेगी।

अतः मैं अरुण कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, भदोही केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में उपबन्धित विधि शक्तियों का प्रयोग करते हुये विशेष संकल्प (Special Resolution) से एतद्द्वारा कथित चेचिस संख्यांक ME3U3S5C1EL111886 बुलेट मोटर साइकिल को अकृत एवं शून्य मानते हुये तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

07 जुलाई, 2020 ई0

सं0 712/पंजीयन-चेचिस/निरस्तीकरण-आदेश/20–प्रश्नगत कथित यान संख्या UP66U-9397 प्रकार Motor Cycle जो कि श्री मुकेश कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 सियाराम जायसवाल, निवासी-गोपालकुंज, रजपुरा, भदोही के नाम दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 से परिवहन कार्यालय भदोही में पंजीकृत है। दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को श्री मुकेश कुमार जायसवाल द्वारा प्रवंचनात्मक रूप मूल पंजीयन चेचिस संख्यांक की चेचिस में करेक्शन कराकर स्कार्पियो यान अंकित करा लिया गया। तत्पश्चात श्री जायसवाल द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को व्यपदिष्ट तरीके से प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करके श्री संदीप कुमार यादव पुत्र श्री देवीप्रसाद यादव, पता-कटरा, जंगीगंज, जनपद भदोही के पक्ष में यान का अंतरण करा लिया गया। तदोपरान्त दिनांक 20 जनवरी, 2020 को श्री राकेश कुमार यादव पुत्र श्री लालचन्द्र यादव, पता-पटेल नगर, ज्ञानपुर, भदोही व पुनश्च दिनांक 25 फरवरी, 2020 को श्री रमेश कुमार यादव पुत्र श्री दानबहादुर यादव, पता-चकनन्दू सियाडीह, हण्डिया, जनपद इलाहाबाद के नाम अभिलेखानुसार यान का अन्तरण करा लिया गया है।

अभिलेखीय विवेचन में यह अभिपुष्ट हुआ है कि कथित चेचिस संख्यांक MA1TAWGXH2A15517 Scorpio के प्रथमतः प्रकल्पित वाहन स्वामी श्री संदीप कुमार यादव द्वारा यान के मूल स्वामी श्री मुकेश कुमार जायसवाल से दुरभि संधि करके दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को व्यपदिष्ट तरीके से अन्तरण का पृष्ठांकन अपने पक्ष में कराते हुये पूर्व में पंजीकृत यान संख्यांक UP66U-9397 प्रकार मोटर साइकिल का प्रयोग कथित चेचिस संख्यांकयुक्त स्कार्पिया पर पृष्ठांकन कर करा लिया गया है, जो आत्यन्तिक रूप से विधि की दृष्टि से शून्य (Absolutely void in Law) है। इसी कारण श्री संदीप कुमार यादव द्वारा न्यून कालावधि दो माह के भीतर ही दिनांक 29 जनवरी, 2020 को श्री राकेश कुमार यादव पुत्र श्री लालचन्द्र यादव व तत्पश्चात् दिनांक 25 फरवरी, 2020 को क्रमशः श्री संदीप कुमार यादव पुत्र श्री देवीप्रसाद यादव, श्री राकेश कुमार यादव पुत्र श्री लालचन्द्र यादव व श्री रमेश कुमार यादव पुत्र श्री दानबहादुर यादव द्वारा दुरभि संधि के फलस्वरूप प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करके कथित स्कार्पियो चेचिस संख्यांक MA1TAWGXH2A15517 पर पूर्व पंजीकृत चेचिस संख्यांक का विधि विरुद्ध उपयोग कर लिया गया है, जिसके लिये तीनों वाहन स्वामी आत्यन्तिकतः हकदार (Absolutely entitled) नहीं थे। यह कृत्य विधि के आलोक में पत्रावली के पर्यवेक्षणोपरान्त आत्यन्तिक रूप से विधि विरुद्ध पाया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के संज्ञान में आने पर इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या क्रमशः 594, 595, 596 दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा चेचिस संख्यांक MA1TAWGXH2A15517 के कथित वाहन स्वामियों क्रमशः श्री संदीप कुमार यादव पुत्र श्री देवीप्रसाद यादव, श्री राकेश कुमार यादव पुत्र श्री लालचन्द्र यादव व श्री रमेश कुमार यादव पुत्र श्री दानबहादुर यादव को केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तहत नोटिस प्रेषित करते हुये यान के भौतिक निरीक्षणार्थ सहित दिनांक 25 जून, 2020 को सायं 4 बजे परिवहन कार्यालय, भदोही में वांछित 4 प्रपत्रों [1–अपना प्रमाणित/सत्यापित आधार कार्ड, 2–यान के अंतरण तिथि दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 या उसके पूर्व की एकबारीय कर जमा की रसीद, 3–यान का सत्यापित बीमा, 4–यान का मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 23)] के साथ सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया, किन्तु तीनों वाहन स्वामी नोटिस के सापेक्ष कार्यालय में उपस्थित होने में विफल रहे। तीनों वाहन स्वामी किसी विधिवेत्ता/प्रतिनिधि के माध्यम से भी नियत तिथि को कोई प्रत्युत्तर/वांछित जबाब प्रस्तुत नहीं किया।

विधि के आलोक में पत्रावली में उपलब्ध एतद् सम्बन्धी विलेखों/अनुसांगिक अभिलेखों का सूक्ष्म अनुशीलन किया गया, जिसमें यह उद्घटित हुआ कि यान के कथित त्रय प्रकल्पित स्वामी द्वारा व्यपदिष्ट तरीके से यान का अन्तरण अपने पक्ष में करा लिया गया है। कथित तीनों स्वामियों का यह कृत्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित नियमावली, 1989 में उपबन्धित विधि व्यवस्था की अवहेलना है। पत्रावली के पर्यवेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि श्री मुकेश

जायवाल व श्री संदीप कुमार यादव द्वारा पूर्व में धारित पंजीयन संख्यांक UP66U-9397 मोटर साइकिल पंजीयन नम्बर का दुरूपयोग कर प्रकल्पित स्कार्पियो चेचिस संख्यांक MA1TAWGXH2A15517 का पृष्ठांकन अपने पक्ष में दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 से करा लिया गया। एतद् श्री मुकेश जायसवाल, संदीप यादव पंजीयन संख्यांक UP66U-9397 के Abuser (दुरूपयोगकर्ता, दुरूपयोक्ता) सिद्ध होते हैं। विधि में अवधारित है कि–'जो विधि के आलोक में कूटकृत है, वह सदा के लिये अकृत एवं शून्य रहेगा तथा इसे किसी भी समय में किसी भी कार्यवाही से विधिक वैधता प्रदान नहीं की जा सकती है' (दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी शिमला बनाम कमला, ए0आई0आर0 2001 एस0सी0 1419, राष्ट्रीय इंश्योरेंस कम्पनी बनाम सत्रो देवी 1997 ए0सी0जे0 111)। इस प्रकार श्री मुकेश जायवाल व श्री संदीप कुमार यादव पुत्र श्री देवीप्रसाद यादव, पता-कटरा, जंगीगंज, जनपद भदोही द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करते हुये तथ्यों को बेईमानी से छिपाया गया है, एतद् प्रवंचना कारित की गयी है। इस प्रकार विधि के आलोक में दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 से यान के सम्बन्ध में की गई कथित पृष्ठांकन की कार्यवाही स्वतः अकृत एवं शून्य (विधि शून्य) मानी जायेगी।

अतः मैं अरुण कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, भदोही केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में उपबन्धित विधि शक्तियों का प्रयोग करते हुये विशेष संकल्प (Special Resolution) से एतद्द्वारा कथित स्कार्पियो की चेचिस संख्यांक MA1TAWGXH2A15517 को भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 से अकृत एवं शून्य मानते हुये पंजीयन संख्यांक UP66U-9397 Motor Cycle व उसकी पंजीयन संख्यांक पर प्रकल्पित चेचिस संख्यांक MA1TAWGXH2A15517 Scorpio का चेचिस तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 713/चेचिस निरस्त-आदेश/20–प्रश्नगत कथित यान संख्या UP66V-6667 प्रकार Motor Cycle जो कि श्री लालबहादुर यादव पुत्र श्री कमलाशंकर यादव, निवासी-लखनो, ज्ञानपुर, भदोही के नाम परिवहन कार्यालय भदोही में पंजीकृत है, को दिनांक 15 मार्च, 2019 को व्यपदिष्ट तरीके से प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करके श्री लालबहादुर यादव पुत्र श्री कमलाशंकर यादव, निवासी-लखनो, ज्ञानपुर, भदोही द्वारा अपने नाम Tata Safari प्रकल्पित चेसिस संख्यांक MAT617009FNK06523 का पृष्ठांकन करा लिया गया। समदिनांक को ही श्री पंकज कुमार यादव पुत्र श्री देवेन्द्र यादव, पता-सीर गोवर्धन, लंका, बी0एच0यू0, जनपद वाराणसी के नाम शोधन करा लिया गया है।

अभिलेखीय विवेचन में यह अभिपुष्ट हुआ है कि कथित चेचिस संख्यांक MAT617009FNK06523 Tata Safari के प्रथमतः वाहन स्वामी श्री लालबहादुर यादव पुत्र श्री कमलाशंकर यादव द्वारा दिनां 15 मार्च, 2019 को व्यपदिष्ट तरीके से पृष्ठांकन अपने पक्ष में कराते हुये पूर्व में पंजीकृत यान संख्यांक UP66V-6667 प्रकार Motor Cycle का प्रयोग कथित चेचिस संख्यांकयुक्त टाटा सफारी पर पृष्ठांकन कर करा लिया गया है, जो आत्यन्तिक रूप से विधि की दृष्टि से शून्य (Absolutely void in Law) है। इसी कारण श्री लालबहादुर यादव द्वारा सम दिनांक को ही श्री पंकज कुमार यादव पक्ष में यान का शोधन कराकर पृष्ठांकन करा दिया गया। क्रमशः श्री लालबहादुर यादव व श्री पंकज कुमार यादव द्वारा दुरभि संधि के फलस्वरूप प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करके कथित Tata Safari चेचिस संख्यांक MAT617009FNK06523 पर पूर्व पंजीकृत चेचिस संख्यांक का विधि विरुद्ध उपयोग कर लिया गया है, जिसके लिये दोनों वाहन स्वामी हकदार (Absolutely entitled) नहीं थे। यह कृत्य विधि के आलोक में पत्रावली के पर्यवेक्षणोपरान्त आत्यन्तिक रूप से विधि विरुद्ध पाया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के संज्ञान में आने पर इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या क्रमशः 608 व 609 दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा चेचिस संख्यांक MAT617009FNK06523 के कथित वाहन स्वामियों क्रमशः श्री लालबहादुर यादव व श्री पंकज कुमार यादव को केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तहत नोटिस प्रेषित करते हुये यान के भौतिक निरीक्षणार्थ सहित दिनांक 26 जून, 2020 को सायं 4 बजे परिवहन कार्यालय, भदोही में वांछित 4 प्रपत्रों [1–अपना प्रमाणित/सत्यापित आधार कार्ड, 2–यान के पृष्ठांकन तिथि दिनांक 15 मार्च, 2019 या उसके पूर्व की एकबारीय कर जमा की रसीद, 3–यान का सत्यापित बीमा, 4–यान का मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 23)] के साथ सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया, किन्तु दोनों वाहन स्वामी नोटिस के सापेक्ष कार्यालय

में उपस्थित होने में विफल रहे। दोनों वाहन स्वामी किसी विधिवेत्ता/प्रतिनिधि के माध्यम से भी नियत तिथि को कोई प्रत्युत्तर/वांछित जबाब प्रस्तुत नहीं किया।

विधि के आलोक में पत्रावली में उपलब्ध एतद् सम्बन्धी विलेखों/अनुसांगिक अभिलेखों का सूक्ष्म अनुशीलन किया गया, जिसमें यह उद्घटित हुआ कि यान के कथित स्वामियों द्वारा व्यपदिष्ट तरीके से यान का पृष्ठांकन अपने पक्ष में करा लिया गया है। कथित दोनों स्वामियों का यह कृत्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित नियमावली, 1989 में उपबन्धित विधि व्यवस्था की अवहेलना है। पत्रावली के पर्यवेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि श्री लालबहादुर यादव पूर्व में पंजीकृत चेचिस संख्यांक, पूर्व में धारित पंजीयन संख्यांक UP66V-6667 मोटर साइकिल का दुरूपयोग कर चेचिस संख्यांक MAT617009FNK06523 टाटा सफारी का पृष्ठांकन अपने पक्ष में दिनांक 15 मार्च, 2019 से करा लिया गया। एतद् श्री लालबहादुर यादव पंजीयन संख्यांक UP66V-6667 के Abuser (दुरूपयोगकर्ता, दुरूपयोक्ता) सिद्ध होते हैं। विधि में अवधारित है कि–'जो विधि के आलोक में कूटकृत है, वह सदा के लिये अकृत एवं शून्य रहेगा तथा इसे किसी भी समय में किसी भी कार्यवाही से विधिक वैधता प्रदान नहीं की जा सकती है' (दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी शिमला बनाम कमला, ए0आई0आर0 2001 एस0सी0 1419, राष्ट्रीय इंश्योरेंस कम्पनी बनाम सत्रो देवी 1997 ए0सी0जे0 111)। इस प्रकार श्री लालबहादुर यादव द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2019 को प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करते हुये तथ्यों को बेईमानी से छिपाया गया है, एतद् प्रवंचना कारित की गयी है। इस प्रकार विधि के आलोक में दिनांक 15 मार्च, 2019 से यान के सम्बन्ध में की गई कथित पृष्ठांकन की कार्यवाही स्वतः अकृत एवं शून्य (विधि शून्य) मानी जायेगी।

अतः मैं अरुण कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, भदोही केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में उपबन्धित विधि शक्तियों का प्रयोग करते हुये विशेष संकल्प (Special Resolution) से एतद्द्वारा UP66V-6667 प्रकार Motor Cycle व प्रकल्पित चेचिस संख्यांक MAT617009FNK06523 टाटा सफारी को अकृत एवं शून्य मानते हुए एतदर्थ पंजीयन संख्या UP66V-6667 प्रकार Motor Cycle का पंजीयन निरस्त व टाटा सफारी के प्रकल्पित चेचिस संख्यांक MAT617009FNK06523 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 714/चेचिस निरस्त-आदेश/20–प्रश्नगत कथित यान संख्या UP66L-6600 प्रकार Motor Cycle जो कि श्री संतलाल यादव पुत्र श्री पीताम्बर यादव, निवासी-जोरई, ज्ञानपुर, भदोही के नाम परिवहन कार्यालय भदोही में पंजीकृत है, को दिनांक 19 जून, 2019 को व्यपदिष्ट तरीके से प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करके श्री संतलाल यादव पुत्र श्री पीताम्बर यादव, निवासी-जोरई, ज्ञानपुर, भदोही द्वारा अपने नाम Scorpio SLE प्रकल्पित चेसिस संख्यांक MATH2MWNE2A19437 का पृष्ठांकन करा लिया गया। दिनांक 16 जनवरी, 2020 को यान का अंतरण श्री अंकित उपाध्याय पुत्र श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, पता-ज्ञानपुर, भदोही द्वारा अपने पक्ष में करा लिया गया है।

अभिलेखीय विवेचन में यह अभिपुष्ट हुआ है कि कथित चेचिस संख्यांक MATH2MWNE2A19437 Scorpio SLE के प्रथमतः वाहन स्वामी श्री संतलाल यादव पुत्र श्री पीताम्बर यादव द्वारा दिनांक 19 जून, 2019 को व्यपदिष्ट तरीके से पृष्ठांकन अपने पक्ष में कराते हुये पूर्व में पंजीकृत यान संख्यांक UP66L-6600 प्रकार Motor Cycle का प्रयोग कथित चेचिस संख्यांकयुक्त Scorpio SLE पर पृष्ठांकन कर करा लिया गया है, जो आत्यन्तिक रूप से विधि की दृष्टि से शून्य (Absolutely void in Law) है। इसी कारण श्री संतलाल यादव द्वारा न्यून कालावधि 7 माह में ही श्री अंकित उपाध्याय पुत्र श्री अवधेश कुमार उपाध्याय, पता-ज्ञानपुर, भदोही के पक्ष में यान का अंतरण करा दिया गया। क्रमशः श्री संतलाल यादव व श्री अंकित उपाध्याय द्वारा दुरभि संधि के फलस्वरूप प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करके कथित Scorpio SLE चेचिस संख्यांक MATH2MWNE2A19437 पर पूर्व पंजीकृत चेचिस संख्यांक का विधि विरुद्ध उपयोग कर लिया गया है, जिसके लिये दोनों वाहन स्वामी हकदार (Absolutely entitled) नहीं थे। यह कृत्य विधि के आलोक में पत्रावली के पर्यवेक्षणोपरान्त आत्यन्तिक रूप से विधि विरुद्ध पाया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के संज्ञान में आने पर इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या क्रमशः 370, दिनांक 12 मार्च, 2020 व पंजीकृत पत्र संख्या 607, दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा चेचिस संख्यांक MATH2MWNE2A19437

के कथित वाहन स्वामियों क्रमशः श्री संतलाल यादव व श्री अंकित उपाध्याय को केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तहत नोटिस प्रेषित करते हुये क्रमशः दिनांक 31 मार्च, 2020 व 25 जून, 2020 को सायं 4 बजे परिवहन कार्यालय, भदोही में वांछित 4 प्रपत्रों [1–अपना प्रमाणित/सत्यापित आधार कार्ड, 2–यान के पृष्ठांकन तिथि दिनांक 19 जून, 2019 या उसके पूर्व की एकबारीय कर जमा की रसीद, 3–यान का सत्यापित बीमा, 4–यान का मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 23)] के साथ सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया, किन्तु दोनों वाहन स्वामी नोटिस के सापेक्ष कार्यालय में उपस्थित होने में विफल रहे। दोनों वाहन स्वामी किसी विधिवेत्ता/प्रतिनिधि के माध्यम से भी नियत तिथि को कोई प्रत्युत्तर/वांछित जबाब प्रस्तुत नहीं किया।

विधि के आलोक में पत्रावली में उपलब्ध एतद् सम्बन्धी विलेखों/अनुसांगिक अभिलेखों का सूक्ष्म अनुशीलन किया गया, जिसमें यह उद्घटित हुआ कि यान के कथित स्वामियों द्वारा व्यपदिष्ट तरीके से यान का पृष्ठांकन अपने पक्ष में करा लिया गया है। कथित दोनों स्वामियों का यह कृत्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित नियमावली, 1989 में उपबन्धित विधि व्यवस्था की अवहेलना है। पत्रावली के पर्यवेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि श्री संतलाल यादव पूर्व में पंजीकृत चेचिस संख्यांक, पूर्व में धारित पंजीयन संख्यांक UP66L-6600 मोटर साइकिल का दुरूपयोग कर चेचिस संख्यांक MATH2MWNE2A19437 Scorpio SLE का पृष्ठांकन अपने पक्ष में दिनांक 19 जून, 2019 से करा लिया गया। एतद् श्री संतलाल यादव पंजीयन संख्यांक UP66L-6600 के Abuser (दुरूपयोगकर्ता, दुरूपयोक्ता) सिद्ध होते हैं। विधि में अवधारित है कि–'जो विधि के आलोक में कूटकृत है, वह सदा के लिये अकृत एवं शून्य रहेगा तथा इसे किसी भी समय में किसी भी कार्यवाही से विधिक वैधता प्रदान नहीं की जा सकती है' (दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी शिमला बनाम कमला, ए0आई0आर0 2001 एस0सी0 1419, राष्ट्रीय इंश्योरेंस कम्पनी बनाम सत्रो देवी 1997 ए0सी0जे0 111)। इस प्रकार श्री संतलाल यादव द्वारा दिनांक 19 जून, 2019 को प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करते हुये तथ्यों को बेईमानी से छिपाया गया है, एतद् प्रवंचना कारित की गयी है। इस प्रकार विधि के आलोक में दिनांक 19 जून, 2019 से यान के सम्बन्ध में की गई कथित पृष्ठांकन की कार्यवाही स्वतः अकृत एवं शून्य (विधि शून्य) मानी जायेगी।

अतः मैं अरुण कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, भदोही केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में उपबन्धित विधि शक्तियों का प्रयोग करते हुये विशेष संकल्प (Special Resolution) से एतद्द्वारा UP66L-6600 मोटर साइकिल का पंजीयन निरस्त व Scorpio SLE के प्रकल्पित चेचिस संख्यांक MATH2MWNE2A19437 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 715/चेचिस निरस्त-आदेश/20–पंजीयन संख्यांक UP66F-7447 भदोही कार्यालय, भदोही में आवंटनविहीन है, जिस पर प्रकल्पित चेसिस संख्यांक K82F84306 Scorpio को व्यपदिष्ट तरीके से प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करके श्री मंगरू राम यादव पुत्र श्री टेढ़ई राम यादव, पता-पटेल नगर, ज्ञानपुर, भदोही द्वारा अपने नाम दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 को पृष्ठांकित करा लिया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 को श्री चन्द्रप्रकाश यादव पुत्र श्री महेन्द्र प्रसाद यादव, पता-पटेल नगर, ज्ञानपुर, भदोही के नाम यान का प्रकल्पित पृष्ठांकन करा लिया गया।

अभिलेखीय गवेषणा में यह अभिपुष्ट हुआ है कि कथित चेचिस संख्यांक K82F84306 Scorpio के प्रथमतः वाहन स्वामी श्री मंगरू राम यादव पुत्र श्री टेढ़ई राम यादव, पता-पटेल नगर, ज्ञानपुर, भदोही द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 को व्यपदिष्ट तरीके से पृष्ठांकन अपने पक्ष में कराते हुये पूर्व में रिक्त पंजीयन संख्यांक UP66F-7447 का प्रयोग करते हुए प्रकल्पित चेचिस संख्यांक K82F84306 Scorpio का पृष्ठांकन करा लिया गया है, जो आत्यन्तिक रूप से विधि की दृष्टि से शून्य (Absolutely void in Law) है। इसी कारण श्री मंगरू राम यादव द्वारा समतिथि को ही श्री चन्द्रप्रकाश यादव पुत्र श्री महेन्द्र प्रसाद यादव के पक्ष में यान का शोधन करा दिया गया। क्रमशः श्री मंगरू राम यादव व श्री चन्द्रप्रकाश यादव ने दुरभि संधि के फलस्वरूप प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation)/प्रवंचना करके Scorpio चेचिस संख्यांक K82F84306 पर पूर्व रिक्त पंजीयन संख्यांक UP66F-7447 का विधि विरुद्ध उपयोग कर लिया गया है, जिसके लिये दोनों वाहन स्वामी आत्यन्तिकतः हकदार (Absolutely entitled) नहीं थे। यह कृत्य विधि के आलोक में पत्रावली के पर्यवेक्षणोपरान्त आत्यन्तिक रूप से विधि विरुद्ध पाया गया है।

अभिलेखीय विवेचन के अनुक्रम में इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या क्रमशः 597 व 598, दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा कथित दोनों वाहन स्वामियों क्रमशः श्री मंगरू राम यादव व श्री चन्द्रप्रकाश यादव को केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तहत नोटिस प्रेषित करते हुये दिनांक 26 जून, 2020 को सायं 4 बजे परिवहन कार्यालय, भदोही में वांछित 4 प्रपत्रों [1–अपना प्रमाणित/सत्यापित आधार कार्ड, 2–यान के पृष्ठांकन तिथि दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 या उसके पूर्व की एकबारीय कर जमा की रसीद, 3–यान का सत्यापित बीमा, 4–यान का मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 23)] के साथ सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया, किन्तु दोनों वाहन स्वामी नोटिस के सापेक्ष कार्यालय में उपस्थित होने में विफल रहे। दोनों वाहन स्वामी द्वारा किसी विधिवेत्ता/प्रतिनिधि के माध्यम से भी नियत तिथि को कोई प्रत्युत्तर/वांछित जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

विधि के आलोक में पत्रावली में उपलब्ध एतद् सम्बन्धी विलेखों/अनुसांगिक अभिलेखों का सूक्ष्म अनुशीलन किया गया, जिसमें यह उद्घटित हुआ कि यान के कथित स्वामियों द्वारा व्यपदिष्ट तरीके से यान का पृष्ठांकन/शोधन अपने पक्ष में करा लिया गया है। कथित दोनों स्वामियों का यह कृत्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित नियमावली, 1989 में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तद्नुरूप नहीं पायी गयी। पत्रावली के विवेचन से स्पष्ट हुआ है कि श्री मंगरू राम यादव द्वारा पूर्व में रिक्त पंजीयन संख्यांक UP66F-7447 का दुरूपयोग कर चेचिस संख्यांक K82F84306 Scorpio का पृष्ठांकन अपने पक्ष में दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 से करा लिया गया। एतद् श्री मंगरू राम यादव पंजीयन संख्यांक UP66F-7447 के Abuser (दुरूपयोगकर्ता, दुरूपयोक्ता) सिद्ध होते हैं। विधि में अवधारित है कि–'जो विधि के आलोक में कूटकृत है, वह सदा के लिये अकृत एवं शून्य रहेगा तथा इसे किसी भी समय में किसी भी कार्यवाही से विधिक वैधता प्रदान नहीं की जा सकती है' (दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी शिमला बनाम कमला, ए0आई0आर0 2001 एस0सी0 1419, राष्ट्रीय इंश्योरेंस कम्पनी बनाम सत्रो देवी 1997 ए0सी0जे0 111)। इस प्रकार श्री मंगरू राम यादव पुत्र श्री टेढ़ई राम यादव, पता-पटेल नगर, ज्ञानपुर, भदोही द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करते हुये तथ्यों को बेईमानी से छिपाया गया है, एतद् प्रवंचना कारित की गयी है। इस प्रकार विधि के आलोक में दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 से यान के सम्बन्ध में की गई कथित पृष्ठांकन/शोधन की कार्यवाही स्वतः अकृत एवं शून्य (विधि शून्य) मानी जायेगी।

अतः मैं अरुण कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, भदोही केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में उपबन्धित विधि शक्तियों का प्रयोग करते हुये विशेष संकल्प (Special Resolution) से एतद्द्वारा प्रकल्पित चेचिस संख्यांक K82F84306 Scorpio को अकृत एवं शून्य मानते हुये तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

08 जुलाई, 2020 ई0

सं0 721/चेचिस निरस्त-आदेश/20–पंजीयन संख्यांक UP66H-0044 परिवहन कार्यालय, भदोही में आवंटनविहीन है, जिस पर प्रकल्पित चेसिस संख्यांक MATA2BC62A64879 Scorpio को व्यपदिष्ट तरीके से प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करके श्री तेजबहादुर यादव पुत्र श्री सदरू यादव, पता-पटेल नगर, ज्ञानपुर, भदोही द्वारा अपने नाम दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 को पृष्ठांकित करा लिया गया था। तत्पश्चात् समतिथि को ही श्री राजेश सिंह यादव पुत्र श्री शंकर यादव, पता-पटेल नगर, ज्ञानपुर, भदोही के नाम यान का प्रकल्पित पृष्ठांकन/शोधन करा लिया गया।

अभिलेखीय गवेषणा में यह अभिपुष्ट हुआ है कि कथित चेचिस संख्यांक MATA2BC62A64879 Scorpio के प्रथमतः वाहन स्वामी श्री तेजबहादुर यादव पुत्र श्री सदरू यादव, पता-पटेल नगर, ज्ञानपुर, भदोही द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 को व्यपदिष्ट तरीके से पृष्ठांकन अपने पक्ष में कराते हुये पूर्व में रिक्त पंजीयन संख्यांक UP66H-0044 का प्रयोग करते हुए प्रकल्पित चेचिस संख्यांक MATA2BC62A64879 Scorpio का पृष्ठांकन/शोधन करा लिया गया है, जो आत्यन्तिक रूप से विधि की दृष्टि से शून्य (Absolutely void in Law) है। इसी कारण श्री तेजबहादुर यादव द्वारा व समतिथि को ही श्री राजेश सिंह यादव के पक्ष में यान का शोधन करा लिया गया। क्रमशः श्री तेजबहादुर यादव व श्री राजेश सिंह यादव ने दुरभि संधि के फलस्वरूप प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation)/प्रवंचना करके Scorpio चेचिस संख्यांक MATA2BC62A64879 पर पूर्व रिक्त पंजीयन संख्यांक

UP66H-0044 का विधि विरुद्ध उपयोग कर लिया गया है, जिसके लिये दोनों वाहन स्वामी आत्यन्तिकतः हकदार (Absolutely entitled) नहीं थे। यह कृत्य विधि के आलोक में पत्रावली के पर्यवेक्षणोपरान्त आत्यन्तिक रूप से विधि विरुद्ध पाया गया है।

अभिलेखीय विवेचन के अनुक्रम में इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या क्रमशः 604 व 605, दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा कथित दोनों वाहन स्वामियों क्रमशः श्री तेजबहादुर यादव व श्री राजेश सिंह यादव को केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तहत नोटिस प्रेषित करते हुये दिनांक 27 जून, 2020 को सायं 4 बजे परिवहन कार्यालय, भदोही में वांछित 4 प्रपत्रों [1–अपना प्रमाणित/सत्यापित आधार कार्ड, 2–यान के पृष्ठांकन तिथि दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 या उसके पूर्व की एकबारीय कर जमा की रसीद, 3–यान का सत्यापित बीमा, 4–यान का मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 23)] के साथ सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया, किन्तु दोनों वाहन स्वामी नोटिस के सापेक्ष कार्यालय में उपस्थित होने में विफल रहे। दोनों वाहन स्वामी द्वारा किसी विधिवेत्ता/प्रतिनिधि के माध्यम से भी नियत तिथि को कोई प्रत्युत्तर/वांछित जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

विधि के आलोक में पत्रावली में उपलब्ध एतद् सम्बन्धी विलेखों/अनुसांगिक अभिलेखों का सूक्ष्म अनुशीलन किया गया, जिसमें यह उद्घटित हुआ कि यान के कथित स्वामियों द्वारा व्यपदिष्ट तरीके से यान का पृष्ठांकन/शोधन अपने पक्ष में करा लिया गया है। कथित दोनों स्वामियों का यह कृत्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित नियमावली, 1989 में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तद्नुरूप नहीं पायी गयी। पत्रावली के विवेचन से स्पष्ट हुआ है कि श्री तेजबहादुर यादव द्वारा पूर्व में रिक्त पंजीयन संख्यांक UP66H-0044 का दुरूपयोग कर चेचिस संख्यांक MATA2BC62A64879 Scorpio का पृष्ठांकन अपने पक्ष में दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 से करा लिया गया। एतद् श्री तेजबहादुर यादव पंजीयन संख्यांक UP66H-0044 के Abuser (दुरूपयोगकर्ता, दुरूपयोक्ता) सिद्ध होते हैं। विधि में अवधारित है कि–'जो विधि के आलोक में कूटकृत है, वह सदा के लिये अकृत एवं शून्य रहेगा तथा इसे किसी भी समय में किसी भी कार्यवाही से विधिक वैधता प्रदान नहीं की जा सकती है' (दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी शिमला बनाम कमला, ए0आई0आर0 2001 एस0सी0 1419, राष्ट्रीय इंश्योरेंस कम्पनी बनाम सत्रो देवी 1997 ए0सी0जे0 111)। इस प्रकार श्री तेजबहादुर यादव पुत्र श्री सदरू यादव, पता-पटेल नगर, ज्ञानपुर, भदोही द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 को प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करते हुये तथ्यों को बेईमानी से छिपाया गया है, एतद् प्रवंचना कारित की गयी है। इस प्रकार विधि के आलोक में दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 से यान के सम्बन्ध में की गई कथित पृष्ठांकन/शोधन की कार्यवाही स्वतः अकृत एवं शून्य (विधि शून्य) मानी जायेगी।

अतः मैं अरुण कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, भदोही केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में उपबन्धित विधि शक्तियों का प्रयोग करते हुये विशेष संकल्प (Special Resolution) से एतद्द्वारा रिक्त अति आकर्षक पंजीयन संख्यांक UP66H-0044 प्रकल्पित चेचिस संख्यांक MATA2BC62A64879 Scorpio को अकृत एवं शून्य मानते हुये तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 722/चेचिस निरस्त-आदेश/20–पंजीयन संख्यांक UP66H-0088 परिवहन कार्यालय, भदोही में आवंटनविहीन है, जिस पर प्रकल्पित चेसिस संख्यांक MAIPL2GPKE5D67678 Scorpio को व्यपदिष्ट तरीके से प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करके श्री हंसराज यादव पुत्र श्री रमाशंकर यादव, पता-ऊँज, भदोही द्वारा अपने नाम दिनांक 17 सितम्बर, 2019 को पृष्ठांकित करा लिया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 06 नवम्बर, 2019 को श्री रमेश कुमार पटेल पुत्र श्री रामधनी पटेल, पता-पटेल नगर, ज्ञानपुर, भदोही के नाम यान का प्रकल्पित अंतरण करा लिया गया।

अभिलेखीय गवेषणा में यह अभिपुष्ट हुआ है कि कथित चेचिस संख्यांक MAIPL2GPKE5D67678 Scorpio के प्रथमतः वाहन स्वामी श्री हंसराज यादव पुत्र श्री रमाशंकर यादव, पता-ऊँज, भदोही द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2019 को व्यपदिष्ट तरीके से पृष्ठांकन अपने पक्ष में कराते हुये पूर्व में रिक्त पंजीयन संख्यांक UP66H-0088 का प्रयोग करते हुए प्रकल्पित चेचिस संख्यांक MAIPL2GPKE5D67678 Scorpio का पृष्ठांकन करा लिया गया है, जो आत्यन्तिक रूप से विधि की दृष्टि से शून्य (Absolutely void in Law) है। श्री हंसराज यादव व श्री रमेश कुमार पटेल ने दुरभि संधि के फलस्वरूप प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation)/प्रवंचना करके Scorpio

चेचिस संख्यांक MAIPL2GPKE5D67678 पर पूर्व रिक्त पंजीयन संख्यांक UP66H-0088 का विधि विरुद्ध उपयोग कर लिया गया है, जिसके लिये दोनों वाहन स्वामी आत्यन्तिकतः हकदार (Absolutely entitled) नहीं थे। यह कृत्य विधि के आलोक में पत्रावली के पर्यवेक्षणोपरान्त आत्यन्तिक रूप से विधि विरुद्ध पाया गया है।

अभिलेखीय विवेचन के अनुक्रम में इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या क्रमशः 601 व 602, दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा कथित दोनों वाहन स्वामियों क्रमशः श्री हंसराज यादव व श्री रमेश कुमार पटेल को केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तहत नोटिस प्रेषित करते हुये दिनांक 26 जून, 2020 को सायं 4 बजे परिवहन कार्यालय, भदोही में वांछित 4 प्रपत्रों [1–अपना प्रमाणित/सत्यापित आधार कार्ड, 2–यान के पृष्ठांकन तिथि दिनांक 17 सितम्बर, 2019 या उसके पूर्व की एकबारीय कर जमा की रसीद, 3–यान का सत्यापित बीमा, 4–यान का मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 23)] के साथ सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया, किन्तु दोनों वाहन स्वामी नोटिस के सापेक्ष कार्यालय में उपस्थित होने में विफल रहे। दोनों वाहन स्वामी द्वारा किसी विधिवेत्ता/प्रतिनिधि के माध्यम से भी नियत तिथि को कोई प्रत्युत्तर/वांछित जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

विधि के आलोक में पत्रावली में उपलब्ध एतद् सम्बन्धी विलेखों/अनुसांगिक अभिलेखों का सूक्ष्म अनुशीलन किया गया, जिसमें यह उद्घटित हुआ कि यान के कथित स्वामियों द्वारा व्यपदिष्ट तरीके से यान का पृष्ठांकन/अंतरण अपने पक्ष में करा लिया गया है। कथित दोनों स्वामियों का यह कृत्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित नियमावली, 1989 में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तद्नुरूप नहीं पायी गयी। पत्रावली के विवेचन से स्पष्ट हुआ है कि श्री हंसराज यादव द्वारा पूर्व में रिक्त पंजीयन संख्यांक UP66H-0088 का दुरूपयोग कर चेचिस संख्यांक MAIPL2GPKE5D67678 Scorpio का पृष्ठांकन अपने पक्ष में दिनांक 17 सितम्बर, 2019 से करा लिया गया। एतद् श्री हंसराज यादव पंजीयन संख्यांक UP66H-0088 के Abuser (दुरूपयोगकर्ता, दुरूपयोक्ता) सिद्ध होते हैं। विधि में अवधारित है कि–'जो विधि के आलोक में कूटकृत है, वह सदा के लिये अकृत एवं शून्य रहेगा तथा इसे किसी भी समय में किसी भी कार्यवाही से विधिक वैधता प्रदान नहीं की जा सकती है' (दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी शिमला बनाम कमला, ए0आई0आर0 2001 एस0सी0 1419, राष्ट्रीय इंश्योरेंस कम्पनी बनाम सत्रो देवी 1997 ए0सी0जे0 111)। इस प्रकार श्री हंसराज यादव पुत्र श्री रमाशंकर यादव, पता-ऊँज, भदोही द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2019 को प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करते हुये तथ्यों को बेईमानी से छिपाया गया है, एतद् प्रवंचना कारित की गयी है। इस प्रकार विधि के आलोक में दिनांक 17 सितम्बर, 2019 से यान के सम्बन्ध में की गई कथित पृष्ठांकन/अंतरण की कार्यवाही स्वतः अकृत एवं शून्य (विधि शून्य) मानी जायेगी।

अतः मैं अरुण कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, भदोही केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में उपबन्धित विधि शक्तियों का प्रयोग करते हुये विशेष संकल्प (Special Resolution) से एतद्द्वारा प्रकल्पित चेचिस संख्यांक MAIPL2GPKE5D67678 Scorpio को अकृत एवं शून्य मानते हुये तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

07 जुलाई, 2020 ई0

सं0 723/चेचिस निरस्त-आदेश/20–यान संख्या UP66Q-1958 Motor Cycle परिवहन कार्यालय भदोही में पंजीकृत है। प्रकल्पित चेसिस संख्यांक 2L30539 Scorpio को व्यपदिष्ट तरीके से प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करके श्री मनीष चौबे पुत्र श्री क्षमाशंकर चौबे, पता-मेन रोड, गोपीगंज, ज्ञानपुर, भदोही द्वारा अपने नाम दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को अंतरित करा लिया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 01 जनवरी, 2019 को प्रकल्पित चेचिस संख्यांक 2L30539 Scorpio के रूप में चेचिस विवरण परिवर्तित करा लिया गया है।

अभिलेखीय विवेचन में यह अभिपुष्ट हुआ है कि कथित चेचिस संख्यांक 2L30539 Scorpio को श्री मनीष चौबे द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को व्यपदिष्ट तरीके से पृष्ठांकन/अंतरण अपने पक्ष में कराते हुये पूर्व में पंजीकृत यान संख्यांक UP66Q-1958 Motor Cycle के पंजीयन संख्यांक का दुरूपयोग करके प्रकल्पित चेचिस संख्यांकयुक्त 2L30539 Scorpio का अंतरण करा लिया गया है, जो आत्यन्तिक रूप से विधि की दृष्टि से शून्य (Absolutely void in Law) है। इसी कारण श्री मनीष चौबे द्वारा एक सप्ताह के भीतर चेचिस संख्यांक 2L30539 Scorpio का

व्यपदिष्टता के आधार पर डिजिटल अभिलेखों में शोधन भी करा लिया गया है। क्रमशः श्री मनीष चौबे ने प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation)/प्रवंचना करके Scorpio चेचिस संख्यांक 2L30539 पर पूर्व पंजीकृत पंजीयन संख्यांक UP66Q-1958 का विधि विरुद्ध दुरूपयोग कर लिया गया है, जिसके लिये श्री मनीष चौबे आत्यन्तिकतः हकदार (Absolutely entitled) नहीं थे। यह कृत्य विधि के आलोक में पत्रावली के पर्यवेक्षणोपरान्त आत्यन्तिक रूप से विधि विरुद्ध पाया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के संज्ञान में आने पर इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या 606, दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा श्री मनीष चौबे को केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55(5) में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तहत नोटिस प्रेषित करते हुये दिनांक 27 जून, 2020 को सायं 4 बजे परिवहन कार्यालय, भदोही में यान के भौतिक निरीक्षणार्थ सहित वांछित 4 प्रपत्रों [1–अपना प्रमाणित/सत्यापित आधार कार्ड, 2–यान के पृष्ठांकन तिथि दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 या उसके पूर्व की एकबारीय कर जमा की रसीद, 3–यान का सत्यापित बीमा, 4–यान का मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 23)] के साथ सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया, किन्तु श्री मनीष चौबे नोटिस के सापेक्ष कार्यालय में उपस्थित होने में विफल रहे। श्री मनीष चौबे द्वारा किसी विधिवेत्ता/प्रतिनिधि के माध्यम से भी नियत तिथि को कोई प्रत्युत्तर/वांछित जबाब प्रस्तुत नहीं किया।

विधि के आलोक में पत्रावली में उपलब्ध एतद् सम्बन्धी विलेखों/अनुसांगिक अभिलेखों का सूक्ष्म अनुशीलन किया गया, जिसमें यह उद्घटित हुआ कि यान के कथित श्री मनीष चौबे द्वारा व्यपदिष्ट तरीके से यान का अंतरण/शोधन अपने पक्ष में करा लिया गया है। यह कृत्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित नियमावली, 1989 में उपबन्धित विधि व्यवस्था के तद्नुरूप नहीं पायी गयी। पत्रावली के विवेचन से स्पष्ट हुआ है कि श्री चौबे द्वारा पूर्व में पंजीकृत पंजीयन संख्यांक UP66Q-1958 Motor cycle का दुरूपयोग कर चेचिस संख्यांक 2L30539 Scorpio का अंतरण अपने पक्ष में दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को करा लिया गया। एतद् श्री चौबे पंजीयन संख्यांक UP66Q-1958 के Abuser (दुरूपयोगकर्ता, दुरूपयोक्ता) सिद्ध होते हैं। विधि में अवधारित है कि–'जो विधि के आलोक में कूटकृत है, वह सदा के लिये अकृत एवं शून्य रहेगा तथा इसे किसी भी समय में किसी भी कार्यवाही से विधिक वैधता प्रदान नहीं की जा सकती है' (दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी शिमला बनाम कमला, ए0आई0आर0 2001 एस0सी0 1419, राष्ट्रीय इंश्योरेंस कम्पनी बनाम सत्रो देवी 1997 ए0सी0जे0 111)। इस प्रकार श्री चौबे द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by personation) करते हुये तथ्यों को बेईमानी से छिपाया गया है, एतद् प्रवंचना कारित की गयी है। इस प्रकार विधि के आलोक में दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 से यान के सम्बन्ध में की गई कथित पृष्ठांकन/शोधन की कार्यवाही स्वतः अकृत एवं शून्य (विधि शून्य) मानी जायेगी।

अतः मैं अरुण कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, भदोही केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में उपबन्धित विधि शक्तियों का प्रयोग करते हुये विशेष संकल्प (Special Resolution) से एतद्द्वारा प्रकल्पित चेचिस संख्यांक 2L30539 Scorpio को अकृत एवं शून्य मानते हुये तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

अरुण कुमार,
पंजीयन अधिकारी।

पी0एस0यू0पी0–20 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 अगस्त, 2020 ई० (श्रावण 24, 1942 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

01 जुलाई, 2020 ई0

सं0 2189/21ए-07(2019–20)–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 239(2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, लखनऊ ने जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकानों आदि को नियंत्रित करने सम्बन्धी विज्ञप्ति सं0 2646/21ए–60(95–96) दिनांक 31 जुलाई 1997 द्वारा स्वीकृत एवं उ0प्र0 राजकीय गजट दिनांक 20 सितम्बर, 1997 में प्रकाशित लाइसेंस उपविधि की धारा–2 में संशोधन किया गया है जिसकी पुष्टि आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ ने उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत की है। यह संशोधन उ0प्र0 राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा :

क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	कपड़े की दुकान	100.00	300.00
2	कपड़े की फेरी की दुकान	50.00	–
3	परचून की दुकान	100.00	300.00
4	कपड़ा, परचून आदि की दुकान	150.00	300.00
5	गल्ले किराने की बड़ी दुकान जिसमें गल्ला 10 कुन्तल या उससे अधिक	150.00	400.00
6	सोने, चांदी के आभूषण बनाने वाली दुकान	250.00	700.00
7	सोने, चांदी की बड़ी दुकान	500.00	1000.00
8	मेडिकल स्टोर (दवा की दुकान)	150.00	500.00
9	मेडिकल प्रैक्टिशनर	150.00	500.00
10	प्रत्येक होटल या मिठाई की दुकान	150.00	400.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
11	लोहे की दुकान	200.00	500.00
12	चाय की दुकान	50.00	150.00
13	चाय पान की सम्मिलित दुकान	75.00	200.00
14	डालडा, घी, तेल की दुकान	100.00	300.00
15	गल्ले या किराने की छोटी दुकान	50.00	200.00
16	बिसातखाना की दुकान (कास्मेटिक)	50.00	200.00
17	बिसातखाना फेरी की दुकान	25.00	—
18	ईंधन जलाने वाले कोयला की दुकान	100.00	300.00
19	जूते, चप्पल बेचने की दुकान (छोटी/बड़ी)	100.00	300.00/500.00
20	जूते, चप्पल मरम्मत व बनाने की दुकान	25.00	—
21	बिना आरा मशीन लकड़ी की दुकान	100.00	400.00
22	फर्नीचर दुकान	200.00	500.00
23	फल की दुकान स्थाई	25.00	200.00
24	सब्जी की स्थाई दुकान	50.00	150.00
25	इलेक्ट्रानिक्स की बड़ी दुकान सम्मिलित आदि	100.00	1,000.00
26	घड़ी, रेडियो या बिजली के समान बेचने की दुकान कैसिट आदि	100.0.0	300.00
27	चूडी बेचने की दुकान (थोक)	25.00	250.00
28	आटोस्पेयर्स पार्ट्स की दुकान	100.00	500.00
29	साइकिल या उसके पार्ट्स की दुकान	100.00	300.00
30	मोटर, ट्रक, बस, जीप, कार आदि मरम्मत की दुकान	100.00	500.00
31	मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत की दुकान	50.00	300.00
32	ट्रैक्टर, ट्राली मरम्मत की दुकान	100.00	300.00
33	पम्प एवं डायनिमों मरममत की दुकान	50.00	300.00
34	टायर टियूब की दुकान/मरम्मत	50.00	200.00
35	कबाड़ी की दुकान (थोक)	50.00	300.00
36	इंजीनियरिंग वर्क्स	100.00	500.00
37	रासायनिक खाद की दुकान	150.00	500.00
38	कृषि बीज एवं दवाओं की दुकान	100.00	500.00
39	बर्तन की दुकान	100.00	500.00
40	बर्तन फेरी की दुकान	50.00	—
41	सीमेन्ट व लोहा आदि की दुकान	200.00	750.00
42	सीमेन्ट की सामान जैसे–जाली, नॉद, पाइप आदि बनाने एवं बेचने की दुकान	100.00	500.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
43	मौरंग, बालू, चूना बेचने की दुकान	100.00	500.00
44	टिम्बर की दुकान	150.00	500.00
45	गल्ले की आढत	200.00	500.00
46	गैस एजेन्सी	500.00	4,000.00
47	डीजल, मोबिल ऑयल की दुकान	100.00	300.00
48	कपड़ा सिलाई की स्थाई दुकान (टेलर)	50.00	200.00
49	नल, बोरिंग की दुकान	50.00	200.00
50	बैट्री मरम्मत चार्जर बेचने की दुकान	100.00	300.00
51	वार्निश पेन्ट आदि बेचने की दुकान	100.00	500.00
52	सरकारी सस्ता गल्ला, शक्कर व मिट्टी के तेल की दुकान	100.00	500.00
53	शराब बिक्री की दुकान (देशी अंग्रेजी बीयर)	500.00	2,000.00
54	पम्पिंग सेट इंजन विक्रय की दुकान	200.00	500.00
55	टेन्ट हाउस	100.00	500.00
56	लस्सी की दुकान	50.00	—
57	सैलून की स्थायी दुकान	50.00	200.00
58	फोटो फ्रेमिंग एवं फोटो खींचने की दुकान	150.00	300.00
59	पेय पदार्थ जैसे कोल्ड्रींग, पानी, लस्सी शरबत आदि बेचने की दुकान	50.00	300.00
60	बिस्कुट, डबलरोटी आदि बेचने की दुकान	50.00	200.00
61	वस्त्र रंगाई व छपाई की दुकान	100.00	300.00
62	डेन्टिंग या पेटिंग की दुकान	100.00	300.00
63	प्रिटिंग प्रेस कम्प्यूटर	500.00	1,000.00
64	लोह गिल्ट, कसकुट के आभूषण आदि की दुकान रैलिंग	50.00	300.00
65	रस्सी या रूई की दुकान	50.00	200.00
66	बांस, बल्ली, लटठो, लाठी विक्रय या किराया की दुकान	50.00	200.00
67	अण्डे बेचने की दुकान	50.00	—
68	विद्युत वेल्डिंग एवं गैस वेल्डिंग की दुकान	100.00	300.00
69	खोया उत्पादक	50.00	200.00
70	खोया या दूध विक्रेता	100.00	300.00
71	क्राकरी की दुकान	100.00	300.00
72	आतिशबाजी बनाने या बेचने की दुकान	100.00	300.00
73	तम्बाकू व्यवसाय	50.00	200.00
74	पेट्रोल डीजल पम्प	500.00	5,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
75	सिनेमा अस्थाई	200.00	500.00
76	सिनेमा स्थाई	500.00	3,000.00
77	म्यूजीकल डान्स एण्ड थियेटर, नौटंकी पार्टी	—	1,000.00
78	व्यवसायिक कलाकार (सांस्कृतिक)	—	500.00
79	धरम कांटा	—	2,000.00
80	भोजनालय (ढ़ाबा)/रेस्टोरेन्ट	—	1,000.00
81	मिठाई की बड़ी दुकान	—	500.00
82	पशु चारा, चूनी, भूसी/भूसा	—	300.00
83	मोबाइल शॉप सैल एण्ड सर्विस	—	500.00
84	पिपरमिन्ट तेल बनाने की टंकी	—	500.00
85	मार्वल टाइल्स की दुकान	—	3,000.00
86	वाटर पार्क	—	10,000.00
87	भांग की दुकान	—	500.00
88	लोहे की अलमारी तथा बक्सा बनाने की दुकान	—	500.00
89	हार्ड वेयर एण्ड बोरिंग पाइप	—	1,000.00
90	एक्सरे क्लीनिक या पैथालाजी	—	1,000.00
91	वाहनों की धुलाई	—	300.00
92	लान्ड्री की स्थाई दुकान	—	500.00
93	किताब कापी, स्टेशनरी आदि की दुकान	—	500.00
94	मछली बिक्रय की दुकान	—	300.00
95	बकरागोस्त आदि की विक्रय मीट की दुकान	—	1,000.00
96	प्लास्टिक के सामान आदि की दुकान	—	500.00
97	प्रत्येक मसाला पीसने की दुकान पर	—	300.00
98	रोड लाइट जनरेटर की दुकान	—	500.00
99	गुड की दुकान पर	—	300.00
100	फोटो कापी/फोटो स्टेट का दुकान कम्प्यूटर टाइपिंग/लैमिनेशन	—	500.00
101	बिजली डेकोरेशन की दुकान	—	500.00
102	लकड़ी की खराद मशीन पर	—	500.00
103	हथियार अग्नेय शस्त्र की दुकान	—	2,000.00
104	मोटर गैरेज	—	1,000.00
105	कैटरिंग	—	500.00
106	ब्यूटी पार्लर	—	500.00
107	पौल्टी फार्म मुर्गी पालन केन्द्र	—	2,000.00
108	बड़ा गोदाम प्रति यूनिट	—	5,000.00
109	छोटा गोदाम प्रति यूनिट	—	3,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
110	प्रापर्टी डीलर/एजेन्ट	—	5,000.00
111	प्राइवेट शिक्षण संस्थान इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कालेज	—	20,000.00
112	साइकिल/मोटर साइकिल स्टैण्ड	—	500.00
113	आप्टिकल्स की दुकान	—	500.00
114	वेयर हाउस सेस आदि	—	15,000.00
115	हास्टल/छात्रावास	—	6,000.00
116	हेल्थ सेन्टर/जिम क्लब	—	2,000.00
117	टेक्टर फेरी द्वारा चालित पालेशर	—	3,000.00
118	अन्य व्यवसाय पर छोटे बड़े	—	500.00/2,000.00

मुकेश कुमार मेश्राम,
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

पी0एस0यू0पी0—20 हिन्दी गजट—भाग 3—2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 अगस्त, 2020 ई० (श्रावण 24, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, अनूपशहर, बुलन्दशहर

25 जून, 2020 ई0

प0अ0 289/न0पा0प0अ0/2020-21—नगर पालिका परिषद् अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293 व 298 के अन्तर्गत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016'' के अन्तर्गत वांछित व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन एवं विनियमन हेतु उपविधि बनायी गयी है। यह उपविधि ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण (Processing) एवं (Disposal) तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रकरणों के सभी मामलों एवं वस्तुओं के विनियमन के सम्बन्ध में है। इस उपविधि की स्वीकृति नगरपालिका परिषद, अनूपशहर के मा0 बोर्ड के संकल्प दिनांक 27 सितम्बर, 2018 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। उपरोक्त नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2018 का प्रकाशन दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 को ''दैनिक जागरण'' समाचार-पत्र व दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 को ''हिन्दुस्तान'' समाचार-पत्र में आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु कराया गया था। तीस दिवस के अन्दर नगर पालिका परिषद, अनूपशहर में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ है। तदोपरान्त बोर्ड प्रस्ताव संख्या 10(9) दिनांक 16 फरवरी, 2019 के द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करने के लिए उपविधि शुल्क 20, 30, 40 रुपये लगाया जाये और नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2018 का असाधारण गजट में प्रकाशन कराया जाना स्वीकार किया गया है। बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 10(9) दिनांक 16 फरवरी, 2019 के अनुपालन में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 300(1) के अनुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2018

इस सम्बन्ध में पारित संकल्प निम्नवत् है–

1–''संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ''–

(1) इस उपविधि का नाम नगर पालिका परिषद्, अनूपशहर की ''नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2018'' कहलाएगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनॉक से लागू/प्रभावी होगी।

(2) यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार-पत्र में पर्याप्त नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेंगे।

2–''लागू होना''–

यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर की सीमा में (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमाएं इसमें सम्मिलित मानी जायेगी) लागू होगी एवं सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी ठोस अपशिष्ट उत्पादन करने वालों, प्रत्येक स्वामित्व/अध्यासन वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर जो नगर पालिका परिषद्, अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर की सीमा में है पर लागू होगी।

3–इस उपविधि में जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो उपविधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा निम्नवत् है–

(1) ''अभिकरण या अभिकर्ता'' से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था या एजेन्सी या फर्म या संविदाकर्ता से है, जो उसकी ओर से गलियों की सफाई और अपशिष्ट के संग्रह, प्रबंधन, परिवहन, भण्डारण, पृथक्कीकरण संग्रहण, यूजर चार्ज, शमन शुल्क के संग्रह आदि कृत्य का निर्वहन करें।

(2) ''जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट)'' से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा–कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। उदाहरण स्वरूप पेड़ पौधों/जानवरों से जनित अपशिष्ट जैसे रसोई अपशिष्ट, भोजन एवं फूलों का अपशिष्ट, पत्तियों बगीचों का अपशिष्ट, जानवरों का गोबर, मीट/मछली का अपशिष्ट अथवा अन्य कोई पदार्थ जो माइक्रोआर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड/डिकम्पोज हो सकता है।

(3) ''जैवचिकित्सा अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट)'' से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से हो जो किसी प्राणी या जन्तु के निदान या उपचार के दौरान या अनुसंधान क्रियाकलापों में या जीवों के उत्पादन या परीक्षण में सृजित हो। इसके अन्तर्गत अनुसूची तीन में उल्लिखित श्रेणियां भी सम्मिलित हैं।

(4) ''शुष्क अपशिष्ट से तात्पर्य'' बायो डिग्रेडिबुल अपशिष्ट और गली के निष्क्रिय कूड़ा करकट से भिन्न अपशिष्ट से है अैर जिसके अन्तर्गत री–साइक्लेबुल अपशिष्ट, नान–रीसाइक्लेबुल अपशिष्ट, ज्वलनशील अपशिष्ट, अपशिष्ट और सेनेटरी नैपकिन और डाइपर आदि से है।

(5) ''घरेलू परिसंकटमय (हजार्डस)'' अपशिष्ट से तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक/हानि कारक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी0एफ0एल0 बल्ब, ट्यूब लाइटें, अवधि समाप्त औषधियॉ, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियॉ, प्रयुक्त सुइयॉ तथा सिरिंज और संदूषित पटिट्यॉ आदि से है।

(6) ''बायो-मीथेनेशन'' से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें माइक्रोबियल एक्शन द्वारा कार्बनिक पदार्थ का इन्जाइमी डीकम्पोजीशन/ब्रेकिंग डाउन होता है, जिसके कारण मीथेन से भरपूर बायोगैस का उत्पादन होता है।

(7) ''द्वार-द्वार संग्रहण से तात्पर्य'' घरों, दुकानों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों के द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसायटी, बहुमंजिलें भवन या अपार्टमेन्ट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत काम्पलेक्स या परिसरों में भूतल पर प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है।

(8) ''विकेन्द्रित प्रसंस्करण'' से तात्पर्य बायोडिग्रेडिबुल अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम रीसाइक्लेबुल सामग्रियों की प्रति प्राप्ति करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े।

(9) ''ब्रांड ओनर से तात्पर्य'' ऐसी किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी से है जो किसी सामग्री की एक रजिस्टर्ड ब्रैड लेबल के अन्तर्गत वाणिज्यिक विक्रय करती है।

(10) ''निपटान'' से तात्पर्य भूजल सतही जल, परिवेशी वायु के सदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण उपरान्त अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा करकट और सतही नाली की सिल्ट का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान से है।

(11) ''नगर निकाय'' से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर से है।

(12) ''बृहद् अपशिष्ट सृजक (बल्क वेस्ट जनरेटर)'' से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों से है जो औसतन 100 किलोग्राम की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते हैं तथा इनमें केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों अन्य शैक्षिक संस्थओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन या अन्य प्रयोगकर्ता जैसे कि क्लब, जिमखाना, शादीघर, मनोरंजन परिसर भी शामिल है, आदि से है।

(13) ''संग्रहण'' से तात्पर्य नियत संग्रहण स्थलों या अन्य स्थानों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के उठाने और हटाने से है।

(14) ''स्रोत पर संग्रहण'' से तात्पर्य किसी भवन के परिसर या भवनों के किसी समूह के परिसरों के भीतर से नगर निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण से है। इसे ''घर-घर संग्रहण'' भी कहा जा सकता है।

(15) ''सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र'' से तात्पर्य किसी ऐसी भण्डारण सुविधा से है जिसकी व्यवस्था तथा रख-रखाव नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु एक या उससे अधिक परिसरों के स्वामियों और/या अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

(16) ''कम्पोस्ट खाद निर्माण'' से तात्पर्य ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का जैविकीय अपघटन एरोबिक/एनएरोबिक अन्तर्ग्रस्त है। इसके अन्तर्गत कृमिक खाद निर्माण भी है, जो जैव अव क्रमणीय अपशिष्ट को वानस्पतिक खाद में परिवर्तित करने हेतु केचुओं के प्रयोग की एक प्रक्रिया है।

(17) ''निर्माण व ध्वस्तीकरण सम्बन्धी, अपशिष्ट'' से तात्पर्य निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ध्वस्तीकरण संक्रिया से निकलने वाली भवन सामग्री, मलवा और रोड़ी से उत्पन्न अपशिष्ट से है।

(18) ''अपशिष्ट छॅटाई केन्द्र'' से तात्पर्य किसी ऐसी अभिहित भूमि शेड छतरी या ढांचे से है जो किसी नगर निकाय की या सरकारी भूमि पर या अपशिष्ट को प्राप्त करने या उसकी छॅटाई करने के लिए प्राधिकृत किसी सार्वजनिक जगह पर स्थित हो।

(19) ''अपशिष्ट उत्पादक'' से तात्पर्य नगर निकाय की सीमा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था से है।

(20) ''निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट'' से तात्पर्य किसी ठोस अपशिष्ट या प्रसंस्करण के अवशेष से है, जिसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म उसे सफाई सम्बन्धी गड्ढ़े के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

(21) ''कूड़ा कचरा'' से तात्पर्य किसी प्रकार का ठोस या तरल घरेलू या वाणिज्यिक कचरा, मलबा या कूड़ा या किसी प्रकार का शीशा धातु आदि के टुकड़े कागज कपड़ा, लकड़ी खाना, वाहन के परित्यक्त भाग, फर्नीचर या फर्नीचर के भाग, निर्माण से ध्वस्त सामग्री, उद्यान अपशिष्ट, कतरन, ठोस बालू या पत्थर और किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा की गयी कोई अन्य सामग्री पदार्थ या वस्तु से है।

(22) ''संग्रहण'' से तात्पर्य कूड़े कचरे को ऐसे स्थान पर रखने से है, जहां पर वह गिराया या उतारा जाता है अथवा बह कर आता है, रिसता या अन्य प्रकार से बह कर आता है या किसी सार्वजनिक स्थान में या उस पर उसके गिराने, उतारने, बहकर आने, रिसने या किसी प्रकार से आने की सम्भावना हो।

(23) ''मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर)'' से तात्पर्य किसी गली, लेन, पार्श्व–पथ, पैदल पथ, खड़न्जा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूम कर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, खाद्य सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानान्तरित करने में लगे व्यक्ति से है जिसके अन्तर्गत फेरीवाला आदि सम्मिलित है।

(24) ''नगरीय ठोस अपशिष्ट'' के अन्तर्गत नगर निकाय में उत्पादित ऐसा वाणिज्यक, आवासीय और अन्य अपशिष्ट भी है, जो ठोस या अर्द्धठोस रूप में।

(25) ''गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन'' से तात्पर्य नगर के ऐसे गैर सरकारी संगठन से है, जो नगर में सिविल सोसाइटी संगठन और गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधित्व निकाय है, सुसंगत अधिनियमों के तहत पंजीकृत हो।

(26) ''अध्यासी'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या किसी भवन या उसके भाग का अध्यासी है या अन्यथा रूप से उपयोग कर रहा है।

(27) ''स्वामी से तात्पर्य'' ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन भूमि या उसके भाग के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। ''प्रसंस्करण'' से तात्पर्य ऐसे किसी वैज्ञानिक प्रसंस्करण से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण या भू–भरण स्थल हेतु।

(28) उपयुक्त बनाने के प्रयोजन के लिए प्रसंस्करण हेतु अभिक्रियित किया गया है।

(29) ''पुनर्चक्रण'' से तात्पर्य नये उत्पादों को उत्पादित करने हेतु पृथक्कत गैर जैव विकृत ठोस अपशिष्ट को ऐसी कच्ची सामग्री में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है, जो मूल उत्पादों के समान नहीं हो सकती है।

(30) ''कचरा निस्तारण'' प्रभार से तात्पर्य नगर निकाय द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन और निस्तारण के लिए अधिसूचित फीस या प्रभार से है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाईसेंसी के लिए यथा प्रयोज्य व्यापार कचरा प्रभार सम्मिलित है।

(31) ''प्रयोक्ता शुल्क'' से तात्पर्य कचरा निस्तारण कार्य के सन्दर्भ में निर्धारित यूजर चार्ज से है।

(32) ''पृथक्करण'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट को विनिर्दिष्टि समूह के जैव नाशित परिसंकटमय जैव चिकित्सीय निर्माण और ध्वंष सामूहिक उद्यान और बागवानी एवं समस्त अन्य अपशिष्ट को पृथक करने से है।

(33) ''छंटाई'' करना से तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुनर्चक्रण योग्य विभिन्न संघटकों और प्रवगों जैसे कागज प्लास्टिक, गत्ता, धातु कॉच आदि को समुचित पुनः चक्रण सुविधा से पृथक करना सम्मिलित है।

(34) ''भण्डारण'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के उस रीति से अस्थायी संग्रहण से है जिससे कि कूड़ा करकट के बिखराव, रोगवाहकों के आकर्षण, आवारा पशुओं और अतिशय दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(35) ''परिवहन'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है।

(36) ''विहित प्राधिकारी'' में अधिशासी अधिकारी से सफाई कर्मचारी तक समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे।

इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 में उनके लिए क्रमशः समुनिदेशित है जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

इस उपविधि के अर्न्तगत उपरोक्त दी गयी परिभाषा से सम्बन्धित दायित्वों/कर्तव्यों/कार्यों का विवरण, प्रतिषेध, शास्ति एवं प्रशमन आदि का विवरण निम्नवत् है–

1–अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के सामान्य कर्तव्य

प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता–

(क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात बायोडिग्रेडिबुल (गीला कूड़ा), नान–बायोडिग्रेबल (सूखा कूड़ा) और हजार्ड्स अपशिष्ट के तीन अलग–अलग रंग के डिब्बों क्रमशः हरा, नीला एवं काला में भंडारित करेगा और समय–समय पर नगर पालिका परिषद् द्वारा निर्गत या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौपेगा।

(ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त लपेटन (रैपर) सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या नान–बायोडिग्रेबिल अपशिष्ट हेतु बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय–समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।

(2) कोई अपशिष्ट उत्पादक उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली/नालों या जलाशयों में न फेकेगा, न जलायेगा और न गाड़ेगा।

(3) सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस अनुसूची–4 का भुगतान करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर पालिका परिषद् की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(4) कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित कर अनुमति प्राप्त किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा। और पृथक्कृत अपशिष्ट को नगर पालिका परिषद् द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा तथा इस सन्दर्भ में दी गयी अनुमति की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेन्डर) अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगर पालिका परिषद् द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा अन्यथा समीपस्थ सम्बन्धित अपशिष्ट संग्रह पात्रों में डालेगा।

(6) 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान नगर पालिका परिषद् की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक करना,

पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग–अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करें करेंगे। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का जहां तक पुनर्चक्रकों को सौपना सुनिश्चित करेंगे। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमीथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पालिका परिषद् द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

(7) सभी बृहद् अपशिष्ट सृजक नगर पालिका परिषद् की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग–अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बृहद् अपशिष्ट सृजक द्वारा बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कंपोस्टिंग करके अथवा बायो मिथेनाइजेशन के जरिये निपटान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पालिका परिषद् द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

2–प्रतिषेध

(1) कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी साधन सें जानबूझकर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यों से सम्बद्ध नाली, गली, गड्ढा, सम्वातन पाईप और फिटिगों मे कोई कूड़ा कचरा, या अपशिष्ट नही फेंकेगा या फेंकवायेगा जिससे निम्नलिखित की सम्भावना हो–

(1) जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुॅचने की

(2) नाली एवं मल पदार्थ के निर्बाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पड़ने की खतरनाक होने या जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की।

(3) कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित लोक सुविधाओं के सिवाय प्रसुविधाओं के किसी सार्वजनिक स्थल पर स्नान नहीं करेगा न ही थूकेगा न पेशाब करेगा, न ही उसे बिकृत करेगा न पशुओं और चिड़ियों के समूह को खिलाएगा और न ही पशुओं, वाहनों, बर्तनों या किसी अन्य वस्तु का प्रक्षालन करेगा।

(3)(1) कोई व्यक्ति स्वामी या अधिभोगी स्वामित्व प्राप्त या अध्यासित किसी परिसर के सामने या उससे संलग्न किसी सार्वजनिक स्थल को किसी प्रकार के अपशिष्ट चाहे वह द्रव, अर्द्धठोस या ठोस पदार्थ हो, जिसमें मल प्रवाह और अपशिष्ट जल भी सम्मिलित है, से गन्दा नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब न तो स्वयं करेगा और न ही अपने पालक से करायेगा।

(3) कोई भी पशुओं के स्वामी किसी भी दशा में उन्हें खुला नहीं छोड़ेगें क्योंकि इससे मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध एवं दुर्घटनायें होने की सम्भावना बनी रहती है।

(4) कोई भी व्यक्ति घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी नहीं करेगा।

(5) कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्मोकोल आइटम्स का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय नहीं करेगा।

(6) कोई भी व्यक्ति सड़क मार्ग या अनाधिकृत स्थल पर जानवरों का गोबर, लीद, पचौनी या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ न तो डालेगा और न ही डलवायेगा।

(7) कोई भी व्यक्ति, जानवरों का पालक/स्वामी ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी नहीं करेंगा।

(8) कोई भी व्यक्ति या उसका पालक किसी सार्वजनिक स्थल, सड़क, पार्क आदि में अपशिष्ट नहीं डालेगा। इन स्थानों की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालकर गन्दगी करने पर अथवा सफाईकर्मी द्वारा घर–घर से अपशिष्ट एकत्रित करने के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा गली या सड़क पर कूड़ा डालते हुये पाया जाता है तो अपशिष्ट को स्थल से हटाकर निस्तारण स्थल तक ले जाने का व्यय सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता से वसूल किया जायेगा।

3–नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण

(1) घरेलू अपशिष्ट का द्वार–द्वारा संग्रहण

(क) द्वार–द्वार संग्रहण में लगे प्रत्येक सफाईकर्मी को कंटेनरयुक्त हाथठेला/रिक्शा तथा एक घण्टी या सीटी/सायरन उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक कर्मी का सफाई बीट में सफाई तथा निश्चित की गई संख्या में भवनों के अपशिष्ट संग्रहण का दायित्व सौंपा जायेगा। सफाईकर्मी घण्टी या सीटी/सायरन बजाकर सफाई तथा घरों से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य यथा–निर्धारित समयावधि में एवं यथा–निर्धारित स्वरूप में करेगा। सफाई कर्मी सड़क/गली की सफाई से संग्रहित पेड़ों के पत्तों एवं कूड़े को जलायेगा न ही और उसे नगर पालिका परिषद् द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता को सौपेगा।

(ख) नगर निकाय वैकल्पिक रूप में घर–घर से अपशिष्ट संग्रहण के लिए कन्टेनरयुक्त वाहन/मोटरवाहन की व्यवस्था कर सकेगा। वाहन चालक, घर या बीट में हार्न बजाकर अपने आने की सूचना देगा, स्वामी या अध्यासी अपने घरेलू अपशिष्ट को सीधे कन्टेनर में डालेंगे।

(ग) किसी कारणवश उप नियम (क) अथवा (ख) में अंकित व्यवस्था संभव न होने पर स्वयं सेवी संगठनों, अभिकरणों अथवा ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन घर–घर से अपशिष्ट से संग्रहण का कार्य कराया जा सकेगा।

(2) होटल अपशिष्ट का संग्रहण–

होटल या रेस्टोरेंट द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिए स्वयं की व्यवस्था की जायेगी। नगर निकाय द्वारा यह व्यवस्था सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी।

(3) शादी घरों, कल्याण मण्डपों एवं सामुदायिक केन्द्रों के अपशिष्ट का संग्रहण– शादी घरों, कल्याण मण्डपों, सामुदायिक केन्द्रों से प्रतिदिन अपशिष्ट संग्रहण के लिए नगर निकायों द्वारा सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी। यह व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अथवा अभिकरण/अभिकर्ताओं द्वारा भी करायी जा सकेगी।

(4) वधशाला अपशष्टि जथा मृत पशुओं की अस्थियों का निस्तारण वैज्ञानिक रीति से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी इस अपशष्टि को नगरीय ठोस अपशिष्ट में सम्मिलित नही किया जायेगा।

(5) औद्योगिक अपशिष्ट का संग्रहण परिवहन और निस्तारण औद्योगिक संस्थानों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों अनुसार किया जायेगा।

(6) अनुपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (जैसा अनुसूची–3 मे सूचीबद्ध है) का विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था साप्ताहिक समयान्तर से नगर निकाय द्वारा या किसी अभिकरण द्वारा की जायेगी या ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए अभिहित केन्द्र को ऐसी रीति से निस्तारण कराने के लिए सौपा जायेगा जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और व्यवस्था) नियमावली, 2016 के अनुसार आदेशित है।

(7) निर्माण और ध्वस्तीकरण संबंधी अपशिष्ट के भण्डारण और निस्तारण के संबंध में लघु सृजकों (घरेलू स्तर) के लिए यह उत्तरदायित्व पूर्ण होगा कि अपशिष्ट का भण्डारण करेगें एवं नगरपालिका परिषद द्वारा निर्धारित स्थल पर उसका परिवहन कर डालेगा, अन्यथा कि स्थिति में उत्पादक नगर निकाय या उसका अधिकर्ता से सम्पर्क स्थापित करेंगे उत्पादक से पृथक–पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस एक विनिर्दिष्ट प्रभार होगा तदुपरान्त इस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र को भेज दिया जायेगा।

(8) सभी जैव अनाशित (नानबायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट पुनः प्रयोग करने योग्य और पुनः प्रयोग न करने योग्य अपशिष्ट का भण्डारण अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा पृथक–पृथक किया जायेगा और उसे निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था नगर पालिका परिषद या उसके अभिकर्ताओ द्वारा ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर किया जायेगा जैसा कि ऐसे अपशिष्ट को संग्रह करने के लिए समय–समय पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा या नगर निकाय या सरकारी या निजी भूमि पर स्थापित लाइसेंस प्राप्त ऐसे अपशिष्ट के छटान केंन्द्रों को दिया जायेगा। वेस्ट पिकर्सः–वेस्ट पिकर्स (कूड़ा बिनने वालों का) का सर्वेक्षण कर उनका व उनसे संबंधित सहकारी संस्थाओं को चिन्हित किया जायेगा तथा प्रत्येक वेस्ट पिकर को पहचान-पत्र दिया जायेगा उन्हे अपने कार्य प्रशिक्षण देते हुए उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर पहचान-पत्र में अंकित किया जायेगा तथा उन्हें घर–घर से रिसाइक्लेबल अपशिष्ट संग्रह करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। वेस्ट पिकर्स वाली

सहकारी संस्थाओं लाइसेंस प्राप्त पुनः प्रयोगकर्ताओं या कबाड़ियों को, संग्रह सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए नगर निकाय के लाइसेंस के साथ ऐसे अपशिष्ट छटान केन्द्रों के संचालन के लिए नियुक्त किया जा सकता है।(पुनः प्रयोग करने योग्य अपशिष्ट के प्रकार की विस्तृत अनुसूची (दो) में दी गई है।)

(9) उद्यान और बागवानी अपशिष्ट की प्रारंभिक अवस्था में ही कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। जहां स्थल पर ही कम्पोस्ट खाद बनाना संभव न हो नगर निकाय अधिसूचित उचित फीस लेकर पृथक–पृथक किये गये उद्यान और बागवानी अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।

(10) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को हाथठेला गाडियों से सामुदायिक अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।

(11) किसी प्रकार के अपशिष्ट को जलाया नही जायेगा।

(12) नाले व नालियों के सफाई से निकली हुई सिल्ट के संग्रह एवं परिवहन तथा निपटान हेतु अलग से व्यवस्था की जायगी।

4–नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण

(1) प्रत्येक व्यक्ति, स्वामी या अध्यासी या अपशिष्ट उत्पादक नगरीय ठोस अपशिष्ट को अपशिष्ट उत्पादन स्रोत के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में पृथक करेगा–

1–जैव नाशित (बायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (गीला कूड़ा)

2– जैव अनाशित (नानबायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (सूखा कूड़ा)

3–जैव चिकित्सीय (बायोमेडिकल) अपशिष्ट

4–घरेलू परिसंकटमय (हजार्ड्स) अपशिष्ट

(2) पृक्करण के लिए नगर निकाय द्वारा जनजागरण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जायेगा इस हेतु जन कल्याण समितियों, गैर सरकारी संगठनों, कक्ष समितियों, तथा नागरिक समूहों को सम्मिलित किया जायेगा।

5–नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण

(1) नगर निकाय नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण के सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण इस नीति से करेगा कि आस–पास अस्वास्थ्यकर स्थिति न उत्पन्न हो।

(2) भण्डारण सुविधा सुगम स्थान पर होगी।

(3) भण्डारण सुविधा इस प्रकार की हो कि वहां किसी का प्रदूषण तथा गन्दगी न फैले।

(4) नगर निकाय नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण व हथालन सुगमता पूर्वक हो सके, अतःयह कार्य मशीनों द्वारा किया जाना श्रेयस्कर होगा।

(5) जहां किसी सामुदायिक अपशष्टि भण्डारण केन्द्र चाहे खुले स्थान में हो या बन्द शेड में जो किसी परिसर में हो या सार्वजनिक स्थान हो से नगर निकाय नगरीय वाहनों द्वारा सीधे ही नगरीय ठोस का संग्रह किया जाता हो वहां ठोस को पृथक–पृथक किये गये अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्था किये गये अनुसार जमा किया जायेगा।

6–सामुदायिक अपशिष्ट का भण्डारण केन्द्र

अपशिष्ट के उत्पादकों द्वारा पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का निस्तारण इस हेतु उपबेधित अपशिष्ट भण्डार केन्द्रों में किया जाये जहां से नगर निकाय द्वारा संग्रह वाहन ऐसे अपशिष्ट का प्रतिदिन ऐसे समय पर संग्रहित करेगा जैसा अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी समय–समय पर अधिसूचित करें।

7–ढॉचागत सुविधाओं की व्यवस्था

नगर निकाय इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में नागरिकों की सहायता करने के लिए पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अपशिष्ट संग्रह सेवाओं के अतिरिक्त कूड़ा फेकने के लिए डस्टबीन सामुदायिक भण्डारण केन्द्र अपशिष्ट छंटान

केन्द्र और कम्पोस्ट खाद बनाने के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जहां कहीं सम्भव और आवश्यक हो यह कार्य स्थानीय नागरिकों के परामर्श और सहभागिता से किया जायेगा। मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों और प्रक्षालन सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जायेगी, जिसमें संगठनों या स्थानीय क्षेत्र के नागरिक समूहों पर आधारित स्थानीय समुदायों की भागीदारी होगी। किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी मार्के कॉम्प्लेक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व भवन योजना में पृथक किए गये अपशिष्ट के संग्रहण पृथक्करण और भण्डारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्राविधान सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। दिन प्रतिदिन के आधार पर बाजारों से सब्जियों, फलों, फूलों, मांस, कुकुट हेतु स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करते हुए उचित स्थानों पर विकेन्द्रीकृत कम्पोस्टिंग प्लांट या जैव मीथेनीकरण प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

8—सुविधा और सहायता उपलब्ध करना

अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी कम्पोस्ट खाद्य बनाने वाले विशेषज्ञों लाईसेंस प्राप्त कबाडियों पुनः प्रयोग करने वाले व्यपारियों, कूडेदान विनिर्माताओं, पुनः प्रयोग करने में सिद्धहस्त अभिकरणों की सूची बनायेगा और उसे प्रकाशित करेगा, जिससे कि अपशिष्ट को पुनः प्रयोग करने योग्य बनाने में नागरिकों को सुविधा और सहायता मिल सके। कर्मचारियों और पंजीकृत व्यक्तियों और संगठनों के नाम और टेलीफोन नंबर नगर निकाय के सम्बन्धित कार्यालयों से उपलब्ध कराये जायेंगे ये संगठन इस प्रक्रियाओं के संम्बन्ध में प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और सहायता प्रदान कर सकते हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं और क्षेत्रीय नागरिक समूह के माध्यम से इसके बारे में जागरुकता उत्पन्न की जायेगी ।

9—कूड़ा निस्तारण प्रभार एवं प्रयोक्ता शुल्क का लगाया जाना

नगर निकाय होटलों, रेस्तरों और अपशिष्ट के अन्य सृजकों पर कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार लगायेगा। अपशिष्ट प्रभार का निर्धारण अधिशासी अधिकारी द्वारा अपशिष्ट की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए आनुपातिक सिद्धान्त के आधार पर लगाया जायेगा। कूड़े के समुचित निस्तारण के लिए प्रयोक्ता शुल्क लगाया जाएगा जो कि अनुसूची—4 में वर्णित दरों के अनुसार होगा जोकि प्रत्येक 02 वर्ष में पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

10—कम्पोस्ट खाद को बनाया जाना

अपशिष्ट के सृजकों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे अपने जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेबल) से कम्पोस्ट खाद बनायें और उसे अपने बगीचों और अपने निजी परिसरों में लगाये गये पेड़ों और आस पास के पेंड़ों में डालें। इस कार्य से बची हुई कम्पोस्ट खाद को नगर निकाय निविर्दिष्ट निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगा।

11—नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण

(1) जहॉ कही सम्भव हो नगर निकाय सार्वजनिक पार्कों, क्रीड़ा स्थल, मनोरंजन स्थल, उद्यानों, अधिक मात्रा में खाली भूमि चाहे वह नगर निकाय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी विभाग के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा अनारक्षित हो पर लघु प्रसंस्करण इकाईयॉ (कम्पोस्ट खाद बनाना या जैव मीथेनीकरण) स्थापित करेगा। ऐसी इकाईयों की स्थापना तथा अनुरक्षण गैर सरकारी संगठनों अभिकर्ताओं व्यवस्था अधिकारियों, ठेकेदारों, किरायादारों, द्वारा भी की जा सकती है। ये संस्थायें स्थानीय समुदाय के लिए नमूनों का प्रदर्शन करेगी और इस प्रकार से कार्य करेगी जिससे समाज या पर्यावरण को कोई असुविधा या हानि न हो।

(2) नगर निकाय नदियों, झीलों, तालाबों, पूजा स्थलों आदि के पास कतिपय निर्दिष्ट स्थलों से पूजा सामग्रियों (फूल, पत्ती, फल) को विशेष पात्रों या कलशों में इकठ्ठा करने हेतु या स्वयं दायित्व लगा या इच्छुक संगठनों को प्राधिकृत करेगा। इन कलशों या पात्रों से इकठ्ठा की गयी सामग्री को उपयुक्त स्थान पर गाड़ा जायेगा या कम्पोस्टिंग इकाइयों द्वारा विशेष रूप से व्यवस्था की जाएगी।

(3) अपशिष्ट के परिवहन लागत को कम करने और अपशिष्ट के स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के वृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त करने को प्राप्त करने की दृष्टि से सम्बन्धित अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने वाले अपशिष्ट के किसी उत्पादक के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह यथाविनिर्दिष्ट उपयुक्त नोटिस की अवधि के पश्चात उद्गम स्थल पर या नोटिस में इस प्रयोजनार्थ अभिहित स्थलों पर जैवनाशित अपशिष्ट को प्रसंस्कृत करे।

(4) नगर निकाय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए यथा–आवश्यक एक से अधिक भूमि भरण स्थलों का चिन्हीकरण विकास और अनुरक्षण करेगी और उसमें ऐसे निष्क्रिय ठोस अपशिष्टों को जो पुनर्चक्रण अथवा प्रसंस्करण के लिए समुचित न हो डाला जाएगा।

(5) पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों में पुनर्चक्रण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(6) वह अपशिष्ट जो अनुपयोगी हो, पुनर्चक्रण के योग्य न हो, नॉन बायोडिग्रेबुल न हो, ज्वलनशील न हो तथा नॉन रीएक्टिव व इनर्ट हो तथा जो अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा से छाट कर निकाला गया हो को, सैनिटरी लैण्डफिल साइट पर निस्तारित किया जायेगा।

(7) छटे हुए अपशिष्ट को यथा सम्भव रीसाइकिल व रीयुज करने हेतु प्रयास किया जायेगा ताकि जीरो–वेस्ट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(8) खुली हुई डम्प साइट्स की बायो–माईनिंग व बायो–रेमेंडिएशन की व्यवस्था की जायेगी। उपयुक्त न होने पर अथवा अन्यथा की स्थिति में इनकी मानक के अनुसार कैपिंग की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जायेगी ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो ।

(9) घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र की स्थापना, जिसको 10 किलो मीटर क्षेत्रफल के घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए बनाया जायेगा। इन केद्रों में घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट जमा करने का समय अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(10) घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट के सुरक्षित भण्डारण एवं परिवहन के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों अनुसार किया जायेगा ।

12–नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन

अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी सार्वजनिक या निजी स्थल पर अपशिष्ट एकत्रीकरण का बिन्दु चिन्हित करायेगा। जहॉ नगर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गाड़ी को दिये जाने के लिए एकत्रित (रूट) योजना के अनुसार एकत्रित कूड़े को इकठ्ठा करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। अपशिष्ट के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन में रखा गया कूड़ा ढकां रहेगा ।

13–स्रोत पर ही एकत्रीकरण

भवन स्वामियों या अध्यासियों द्वारा भवनों या भवन समूहों के परिसर के भीतर उपलब्ध कूड़ा स्रोत स्थान से एकत्रीकरण की व्यवस्था की जा सकेगी और नगर निकाय की गाड़ियों/कर्मचारियों द्वारा उस कूड़ा पात्रों तक ऐसे समय तक पहुंचाई जायेगी जैसा अधिसूचित किया जाये।

14–सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र

अपवादिक मामलों मे जहां स्थान-स्थान पर एकत्रीकरण या स्रोत पर ही एकत्रीकरण सम्भव न हो वहां नगर निकाय द्वारा सामुदायिक अपशिष्ट भण्ड़ारण केंन्द्र का सार्वजनिक सड़कों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जहां आवश्यक और संभव हो, रख रखाव किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये ।

15–अपशिष्ट छटाई केंन्द्र

पुनर्चक्रीय और अपुनर्चक्रीय अपशिष्ट की छटाई कार्य को विनियमित करने तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए संबंधित अधिकारी उतने अपशिष्ट छॅटाई केंन्द्रों की व्यवस्था करेगा जो आवश्यक और संभव हो । ये अपशिष्ट छटाई केन्द्र नगर निकाय की भूमि पर या सरकारी अथवा अन्य निकायों की भूमि पर हो सकते हैं, जो इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से शेड या गुमटी के रूप में उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराये जाऐंगे। इनकी व्यवस्था कूड़ा बिनने वालों की रजिस्टर्ड सहकारी समितियों या अनुज्ञा प्राप्त रीसाइक्लर्स या नगर निकाय द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत अन्य अभिकरणों द्वारा भी की जायेगी। जैव अपघटन योग्य अपशिष्ट के भण्डारण के लिए हरे रंग के डिब्बे पुनर्चक्रमण योग्य अपशिष्ट के लिए नीले रंग एवं अन्य अपशिष्ट के लिए ''काले रंग'' के डिब्बे का उपयोग किया जायेगा। छंटाई के बाद अवशेष अपुनर्चक्रीय कूड़े का प्रसंस्क्रण या भूमि भराव के लिए ऐसे छॅटाई केन्द्रों से कूड़ा निस्तारण स्थलों पर भेजा जायेगा। ऐसे अपशिष्ट छटाई केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के कूड़े को अधिसूचित दरों पर क्रय एवं विक्रय का कार्य अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

16–समय सारिणी तथा एकत्रीकरण का मार्ग

नगरीय ठोस अपशिष्ट के दैनिक तथा साप्ताहिक एकत्रीकरण की समय सारिणी एवं मार्ग का निर्धारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अधिसूचित किया जायेगा। इनका विवरण सम्बन्धित कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगा।

17–स्थानीय नागरिक समूह

स्वंय सहायता समूहों के गठन को सुगम बनाना उन्हें पहचान कर पत्र उपलब्ध कराना तद्परान्त घर–घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करते सहित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में एकीकरण को प्रोत्साहन दिया जायेगा। स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों अथवा स्थानीय नागरिक समूहों का विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्रभार इकट्ठा करने हेतु अनुबन्ध के आधार पर नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र को साफ रख सकें। सड़कों की सफाई कूड़े के एकत्रीकरण, परिवहन, कम्पोस्टिंग आदि के लिए निर्धारित इकाई दरों पर नगर निकाय या स्वामियों या अध्यासियों से भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। पंजीकरण प्रकिया माडल उपविधियों तथा स्थानीय नागरिक समूहों स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा गैर सरकारी संगठनों हेतु माडल अनुबन्ध का प्रारूप नगर पालिका की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर उपलब्ध करायी जायेगी ।

18–सफाई अभियान

उन क्षेत्रों में जिनको विशेष सफाई अभियान के लिए आवश्यक समझ कर चिन्हित किया जाय औंर जहॉ स्थानीय सदस्य नागरिक सहयोग के लिए आगे आते हों सफाई अभियान का आयेाजन किया जायेगा। ऐसे विशेष अभियानों के लिए अपेक्षित संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा ।

19–जगरुकता शिक्षा और प्रशिक्षण

अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओ, स्थानीय नागरिक समूहों, नगर निकायकर्मी और उसके अभिकर्ता नगर के स्कूल, आवासीय समितियों, गन्दी बस्तियों, दुकानो, फेरी वालों/अपशिष्ट चुनने वालों/संग्रहकर्ता को कार्यालय स्कूलों, औद्योगिक इकाईयों, वाणिज्यिक यूनियनों, सकल एरिया सिटिजन ग्रुप आदि से सफाई के सम्बन्ध में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाया जायेगा। उसके पश्चात इन सबकी शिक्षा, जागरुकता, सहभागिता एवं प्रशिक्षण के लिए एक समन्वित योजना एवं रणनीति तैयार कर उसे कार्यान्वित की जायेगी। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

20–अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जनसहभागिता को प्रोत्साहन

जन सहभागिता और सहयोग से किये गये सफाई कार्य और अपशिष्ट प्रबन्ध के सर्वोत्तम कार्यों के लिए नगर निकाय द्वारा प्रशंसा पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा प्रचारित किया जायेगा।

21–शिकायतों का निस्तारण

नगर निकाय इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वन हेतु कम्प्लेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम को संचालित करेगा या एक समुचित नया आनलाईन कम्पलेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम तैयार करेगा। शिकायतों और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के आंकड़े ऑनलाईन ग्रिवान्स मैनेजमेण्ट सिस्टम (ओ0जी0एम0एस0)/ सिटिजन्स पोर्टल में प्रदर्शित की जायेगी।

22–नागरिकों की सफाई टीम

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई कार्यों में विशेष रुचि एवं सहयोग प्रदान करने वाले नागरिकों को स्वच्छाग्रही नामित कर सकता है। सम्बन्धित नागरिक नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई टीम का भी गठन कर सकते हैं तथा सर्वेक्षण करके सफाई के अनुश्रवण हेतु नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं। इन रिपोर्टों को नगर निकाय कार्मिकों को अग्रसारित किया जायेगा और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जायेगा ताकि इसके माध्यम से उस क्षेत्र की सफाई और अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

23–रुचि की अभिव्यक्ति

किसी क्षेत्र को साफ रखने या कूड़े के पृथक्करण पुनरावर्तन या कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना, कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, बायो–मिथेनीकरण आदि की अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति के ऐसे सभी आमंत्रण के विवरण सभी वार्ड कार्यालयों में तथा वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

24–आकस्मिक निरीक्षण

अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नगर निकाय की म्युनिसिपल सीमाओं में सम्बन्धित अधिकारी अपने अवपने वार्डों के विभिन्न मार्गों में किसी भी समय (दिन या रात) आकस्मिक जॉच करेंगे। किसी उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले कूड़े कचरे की सफाई नगर निकाय द्वारा की जायेगी और उसमें अन्तर्ग्रस्त व्यय उल्लंघनकर्ता से वसूला जा सकेगा।

25–नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में दायित्व

(1) मलिन बस्तियों की सफाई के संबंध में दायित्व–

क–अधिशासी अधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जहां-जहां भी योग्य समुदाय आधारित संगठन आगे आयें, वर्तमान में अनाच्छादित क्षेत्रों में उनके वार्डों के अन्तर्गत दत्तक बस्ती योजना (मलिन बस्ती अपनाने के अन्तर्गत) का विस्तार करेंगे।

ख–जहाँ आवश्यक हो नगर निकाय की गाड़ी पृथकीकृत ठोस अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए मलिन बस्ती के बाहर किसी स्थान पर नियत समय पर उलब्ध करायी जायेगी।

ग–अपवादित मामलों में जब तक गाड़ी की सेवायें तत्समय सार्वजनिक मार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी चिन्हित बिन्दु पर अपेक्षित अन्तराल पर उलब्ध नहीं करायी जा सकती हो, नगर निकाय द्वारा मानव सेवित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूड़ादान की व्यवस्था की जायेगी जहॉ कूड़ा उत्पन्न करने वालों के द्वारा पृथकीकृत अपशिष्ट जमा किया जायेगा और वहॉ से नगर निकाय ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करेगी।

(2) मुर्गी पालन, मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट उत्पादक के दायित्व– चिन्हित बूचड़खानों और बाजारों से भिन्न किसी भू–गृहादि का स्वामी या अध्यासी जो मुर्गी मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट को किसी व्यावसायिक गतिविधि के फलस्वरूप उत्पन्न करता है ढ़की हुई, स्वच्छ स्थिति में उसका पृथक भण्डारण करेगा और इस प्रयोजन

के लिए उपलब्ध कराये गये नगर निकाय के संग्रह वाहन को विनिर्दिष्ट समय पर दैनिक रूप से पहुॅचायेगा। किसी सामुदायिक कूड़ादान में ऐसे अपशिष्ट का जमा करना निषिद्ध है और अर्थदण्ड की अनुसूची में इंगित अर्थदण्ड का भागी होगा।

(3) ठेले वालों/फेंरी वालों के दायित्व–

घरेलू नाली वाले भू–गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान ऐसे समय पर नगर निकाय द्वारा और उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग करके पहुॅचाया जाये। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

(4) नाली की सफाई का दायित्व–

घरेलू नाली वाले भू–गृहादि का स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान, ऐसे समय पर नगर निकाय द्वारा और उपब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग करके पहुॅचाया जाय। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

जहाँ ऐसे भू–गृहादि का स्वामी या अध्यासी घर की नाली की सफाई के लिए नगर निकाय की सेवायें प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसे नगर निकाय से सम्बन्धित वार्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निकाय द्वारा यथानिर्धारित प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान प्राप्त कर घर की नाली की सफाई कराई जा सकेगी।

(5) पालतू पशु स्वामी का दायित्व–

किसी पालतू पशु के स्वामी का यह दायित्व होगा कि गली या सार्वजनिक स्थान पर पालतू पशु द्वारा फैलाई गयी किसी गन्दगी को शीघ्रता से हटा दे अन्यथा ऐसे अपशिष्ट के समुचित निस्तारण के लिए अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

(6) सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह आयोजनकर्ता का दायित्व–

सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह (जिसमें जुलूस प्रदर्शनी सर्कस मेलों या राजनैतिक दलों की रैली, व्यावसायिक धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक समारोह विरोध प्रदर्शन इत्यादि शामिल है) के लिए जिसमें पुलिस और/या नगर निकाय की अनुमति अपेक्षित है समारोह या सम्मेलन के संयोजक का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित करें।

नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिदेय स्वच्छता प्रभार प्रयोक्ता आयोजक से समारोह की अवधि के लिए संबंधित कार्यालय में जमा कराया जायेगा। यह प्रभार केवल सार्वजनिक स्थल की सफाई के लिए होगा। इसमें सम्पत्ति की क्षति आच्छादित नहीं होगी।

(7) निपटान योग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्यकर नैपकीनों और डाइपर के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों के कर्तव्य–

(1) निपटान योग्य उत्पादों जैसे टिन, कॉच, प्लास्टिक पैकेजिंग इत्यादि के सभी

निर्माता या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्राण्ड स्वामी अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेंगे।

(2) गैर नान बायोडिग्रेडेबुल पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पादों की बिक्री या विपणन करने वाले ऐसे सभी ब्राण्ड स्वामी उनके उत्पाद के कारण उत्पन्न हुए पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस ग्रहण करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था करेंगे।

(3) स्वास्थ्य कर नैपकीनों तथा डाइपरों के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों में सभी पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के प्रयोग की सम्भाव्यता का पता लगायेंगे या अपने स्वास्थ्य कर उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकीन या डाइपर के निस्तारण के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध करायेंगे।

(4) ऐसे सभी विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों को लपेटने और उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी दी जायेगी।

26–नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद् निश्चित करती है कि इस उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना अथवा उल्लंघन के दुष्प्रेरित करना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे व्यक्ति संस्था अथवा अन्य के विरुद्ध नियमानुसार अभियोजन संस्थित किया जायेगा।

27–अपराधों का प्रशमन

इस नियमावली के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अधिशासी अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के लिए अनुबन्धित संस्थाओं द्वारा शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के जैसा कि अनुसूची–1 में उल्लिखित है वसूल करके प्रशमित किया जा सकता है।

शर्त यह होगी कि निकाय में बाहरी संस्थाओं द्वारा वसूल की गयी प्रशमन शुल्क की धनराशि का 75 प्रतिशत उसी दिन गन निकाय कोष में जमा करना होगा व इसकी लिखित सूचना व सूची नगर निकाय के सफाई विभाग में प्रस्तुत करनी होगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि संस्थाएं अपने पास रखेंगी और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने से पूर्व किया जाता है वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा।

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है, वहां प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जायेगा।

उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृक्षा पर अपना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।

अनुसूची–1
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि–2017
प्रशमन शुल्क तालिका (ड्राफ्ट)

क्र0 सं0	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क	02 वर्ष की अवधि में पुनः उल्लंघन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर निकाय द्वारा अपशिष्ट उत्पादक के दायित्वयों का निर्वहन करने की दशा में प्रशासकीय व्यय की धनराशि
1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
1	व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर किसी–			
	(1) अपशिष्ट फैलाना/ फेकना	200	प्रशमन शुल्क का पॉच गुना	500
	(2) थूकना	50		250
	(3) मूत्र विर्सजन करना	50	,,	250
	(4) जानवरों के अनिर्दिष्ट स्थान पर खिलाना	200	,,	1,000
	(5) वाहनों की धुलाई	200	,,	1,000
	(6) कपड़े धोना	200	,,	1,000
	(7) सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब या कुंड में गंदगी फैलाना	300	,,	1,500
2	मार्ग, पार्क, घाटों आदि सार्वजनिक स्थल की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर	300	,,	3,000
3	घाटो, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी करने/ कराने पर	300	,,	3,000
4	पालतू पशुओं को खुला छोड़कर मार्गो/ खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने पर	300	,,	500
5	नाले नालियों, ड्रेनेज/ सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी करने पर–			
	(क) पशु पालक 5 जानवरों तक	500	,,	2,500
	(ख) पशु पालक 5 जानवरों से अधिक व 25 जानवरों तक	2,500	,,	5,000
	(ग) पशु पालक 25 जानवरों से अधिक	5,000	,,	10,000

1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
6	डस्टबिन/स्टोरेज कन्टेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना	200	,,	शून्य
7	उपकरणों/कपड़ों अन्य किसी सामग्री अनिर्दिष्ट स्थल पर धुलाई	200	,,	शून्य
8	किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कूडा–करकट को बनाये रखना	500	,,	1,000
9	कानून का उल्लंघन करते हुए शव का अनियमित निस्तारण	1,000	,,	
10	अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहना–			
	(क) डबलिंग यूनिट/ भवन/ फ्लैट	300	,,	शून्य
	(ख) दुकान/बूथ	200	,,	शून्य
	(ग) माल/मल्टीप्लेक्स /शापिंग आरकेड/होटल	3,000	,,	शून्य
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक /अन्य संस्थान	1,000	,,	शून्य
11	प्रतिबन्धित पालीथीन आइटम का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर	10,000	,,	शून्य
12	थर्मोकोल आइटम का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर	10,000	,,	शून्य
13	बिना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग–अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूड़े को सौंपना			
	(क) व्यक्तिगत भवन	100	,,	
	(ख) दुकान/बूथ	200	,,	
	(ग) माल/मल्टीप्लेक्स /शापिंग आरकेड/होटल	2,000	,,	
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक /अन्य संस्थान	1,000	,,	
	(ड.) औद्योगिक भूखण्ड/ यूनिट	3,000	,,	
	(च) इवेन्ट आरगेनाइजर्स	5,000	,,	
14	वृहद् अपशिष्ट (100 किलो ग्राम प्रतिदिन से अधिक उत्सर्जकों द्वारा अपशिष्ट के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करना	5,000 प्रतिमाह	10,000 प्रतिमाह	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय

1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
15	विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर	1,000	2,000	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
16	बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर	2,000	4,000	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
17	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट को यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	500	1,000	———
18	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	500	1,000	———
19	निर्माण और ढहाने के अपशिष्ट का यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने/अधिकृत एजेन्सी को डिलीवरी न करने पर	500 प्रतिटन	प्रशमन शुल्क का पॉच गुना उपरोक्तानुसार	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
20	शुष्क अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	250	250	————
21	उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छॅटाई के कूड़े की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	500	1,000	500
22	अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर	500	1,000	————
23	खुले में शौच करने पर	100	100	————
24	पालतू जानवरों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सड़कों/ पार्क में फेकना	200	400	2,000
25	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथानिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	300	600	600
26	बिना डिब्बा/अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों/फेरी वाले/दुकानदारों के लिए	50	100	————
27	पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाए जाने के लिए	200	400	2,000
28	व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनधिकृत रूप से पानी बहाने पर	500	1,000	————
29	सार्वजनिक सम्मेलन/समारोह के पश्चात 24 घण्टें के भीतर सफाई न करने के लिए	3,000	1,000	सफाई करने पर आने वाले वास्तविक व्यय की वसूली एवं स्वच्छता डिपाजिट जब्त कर लेना।

नोट–

1–उपरोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज के दो वर्षों के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरें स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगी।

2–अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन/थरमाकोल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी स्थान/यूनिट से बार–बार पाये जाने पर उनके द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति अधिशासी अधिकारी को की जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।

3–यदि अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी या कोई भी सामान्य नागरिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए पाता है तो वे उसकी रिपोर्ट निकाय के अधिकारी को उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

अनुसूची–2
जैवनाशित और पुनर्चक्रीय अपशिष्ट की सूची

जैवनाशित अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)	पुनर्चक्रीय अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)
जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है।	पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुष्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री में एक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सके और जो मूल उत्पाद के समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
रसोई घर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके शामिल हैं।	समाचार-पत्र, कागज, पुस्तकें, पत्रिकायें शीशा, धातु के पदार्थ और तार प्लास्टिक फटे कपड़े चमड़ा रेक्सीन रबर लकड़ी/फर्नीचर पैंकिग के सामान एवं अन्य इसी प्रकार के अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट।
मांस और हड्डियॉ उद्यान व पत्तियों का कूड़ा करकट जिसमें फूल भी है।	
पशुओं का कूड़ा करकट गोबर सफाई के बाद घर की गंदगी नारियल के छिलके राख अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट।	

अनुसूची तीन
जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट–

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनके सम्बन्धी शोध कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।

(1) धारदार अपशिष्ट–

सुईयॉ, सिरींज, छूरिया, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार दोनों है।

(2) बेकार दवाइयॉ और साइटोटाक्सिक औषधियॉ–

अवसान तिथि के बाद की दूषित और बेकार दवाईयों के अपशिष्ट

(3) ठोस अपशिष्ट–

रक्त और शरीर द्रव से दूषित सामग्री जिनमें रूई, पट्टी, प्लास्टर पट्टी, कपड़े की पट्टी, बिस्तर, चादर और रक्त से दूषित अन्य सामग्री।

अनुसूची–4

आवासीय/अनावसीय भवनों के परिसर का कूड़ा उठाने के लिए प्रस्तावित प्रयोक्ता शुल्क/यूजर चार्ज

आवासीय	विवरण	दर प्रतिमाह
1	2	3
		रु0
श्रेणी क	गृहकर से छूट वाले परिवार	20.00 प्रतिमाह
श्रेणी ख	200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक आवासीय ईकाई	30.00 प्रतिमाह
श्रेणी ग	200 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल वाली आवासीय ईकाई	40.00 प्रतिमाह
श्रेणी घ	हाउसिंग सोसाइटी अपार्टमेन्ट प्रति फ्लैट	40.00 प्रतिमाह
श्रेणी ङ	यात्री धर्मशालायें/धर्मशाला	30.00 प्रतिमाह
	अनावसीय/व्यवसायिक	
श्रेणी क	100 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान	30.00 प्रतिमाह
श्रेणी ख	200 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल तक की दुकान	50.00 प्रतिमाह
श्रेणी ग	200 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक की दुकान	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी घ	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 100 छात्र एवं छात्रायें तक पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 101 से 500 छात्र एवं छात्रायें	100.00 प्रतिमाह 200.00 प्रतिमाह
	पब्लिक स्कूल तक कोचिंग सेन्टर 501 से ज्यादा छात्र एवं छात्रायें	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी ड.	इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, मैनेजमेन्ट कालेज एवं प्राईवेट स्नातक/स्नातकोत्तर कालेज, सेन्टर शॉपिग कम ऑफिस कॉम्पलेक्स प्राईवेट शिक्षण संस्थाएं, प्राईवेट हॉस्टल	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी च	बैंक कार्यालय, एल.आई.सी. कार्यालय आदि एवं गेस्ट हाउस तथा होटल 10 कमरों तक, रेस्टोरेण्ट	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी छ	मैरिज होम, माल्स, बैक्विट हाल, क्लब, सिनेमा हॉल होटल 10 कमरों से अधिक	1,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी ज	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी स्कूल	300.00 प्रतिमाह
श्रेणी झ	प्राईवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम (20 बेड तक)	300.00 प्रतिमाह
श्रेणी ञ	प्राईवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम (20 बेड से अधिक)	1,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी ट	पैथोलॉजी लैब	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी ठ	क्लीनिक	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी ड	अन्य सरकारी कार्यालय/सरकारी स्कूल	50.00 प्रतिमाह
श्रेणी ढ	दवाईयों की दुकान	100.00 प्रतिमाह

1	2	3
		रु0
श्रेणी ण	रिटेल चैन्स (जैसे बिग बाजार, विशाल, मैट्रो बाजार आदि)	2,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी त	रोड साईड वेन्डर (वेन्डर जोन सहित)	5.00 प्रतिमाह
श्रेणी थ	रोड साईड फास्ट फूड कार्नर, चाय/जूस की दुकान व चाट हाऊस आदि	50.00 प्रतिमाह
श्रेणी द	गोदाम एवं वेयरहाऊस 1001 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक	1,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी ध	गोदाम एवं वेयरहाऊस 1001 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक	1,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी न	शराब की दुकानें	3,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी प	हाट, मार्केट, साप्ताहिक बाजार	25.00 प्रतिमाह
श्रेणी फ	शोरूम, सर्विस सेन्टर व छोटे गैराज	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी ब	प्रदर्शनी ग्राऊण्ड, मेला	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी भ	छोटे और कुटीर उद्योग कार्यशालाएं (केवल गैर खतरनाक/प्रदूषक) प्रतिदिन 10 कि0ग्राम तक अपशिष्ट	300.00 प्रतिमाह
श्रेणी म	प्रिटिंग प्रेस	150.00 प्रतिमाह
श्रेणी य	पेट्रोल पम्प	1,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी र	ऐसे भवन जिनमें पालतू पशु (यथा–भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सूअर आदि) पाल रखें हों, जिनका व्यावसायिक उपयोग न किया जाता हो।	100.00 प्रतिमाह निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त देय होगा।
श्रेणी ल	अन्य जो उपरोक्त में छूट गया हो	जो नगर पालिका परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाए।

नोट–

(1) प्रयोक्ता शुल्क भुगतान न करने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उनके प्राधिकृत अधिकारी को इन उपविधियों में वर्णित की गयी दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउन्डिग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा।

(2) यदि कोई उपभोक्ता एक वर्ष का प्रयोक्ता शुल्क अग्रिम (एडवांस) जमा करता है तो वह 01 माह के प्रयोक्ता शुल्क की छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(3) विधवा/बेसहारा महिला एकल रूप से (50 वर्ग गज मकान में स्वयं निवास करती हो) प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा, जिसका प्रमाण–पत्र प्रत्येक वर्ष नगर पालिका परिषद् से प्राप्त करना होगा। यदि भवन अथवा भवन का आंशिक भाग किराये पर दिया गया है तो वह भवन स्वामी छूट प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।

(4) वह वरिष्ठ नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हो तथा 100 वर्ग गज तक के मकान में निवास करते हों, एवं शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो एवं उनके साथ वृद्ध पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई

परिवारजन अथवा अन्य सहायक आवासित न हो उनको प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगर पालिका परिषद् अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा।

(5) जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपरोक्त अनुसूची-4 की सीमा में नहीं आयेंगे। इनका निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अन्तर्गत होगा।

(6) प्रयोक्ता शुल्क अनुसूची-4 में वर्णित शुल्क प्रत्येक 2 वर्ष में पालिका द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी। पुनरीक्षण का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर में निहित होगा। उपरोक्त उपविधि में पुनरीक्षण के पश्चात् शुल्क में की गयी वृद्धि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

ब्रजेश शर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, अनूपशहर,
जनपद बुलन्दशहर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स–रूपानी प्रोडक्टस, 123/794, फजलगंज, कानपुर के पते पर पंजीकृत है। भागीदारी डीड दिनांक 01 अगस्त, 2020 के अनुसार श्री कुश रूपानी पुत्र श्री घनश्याम दास रूपानी, निवासी 113/62, स्वरूप नगर, कानपुर को साझीदारी में शामिल किया गया है तथा दिनांक 01 अगस्त, 2020 की साझीदारी डीड के अनुसार श्री बलराज रूपानी साझीदारी से पृथक् हो गये हैं और अब श्री आलोक रूपानी पुत्र श्री घनश्याम दास रूपानी तथा श्री कुश रूपानी पुत्र श्री घनश्याम दास रूपानी, निवासीगण 113/62, स्वरूप नगर, कानपुर साझीदार हैं।

पार्टनर–आलोक रूपानी,
मेसर्स, रूपानी प्रोडक्टस,
123/794, फजलगंज, कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ओम प्रकाश यादव, कंस्ट्रक्शन ग्राम पो0 पतिला गौसपुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के हम दोनों साझेदार श्री ओम प्रकाश यादव, श्री बालचन्द्र यादव ने आपसी सहमति से दिनांक 17 जुलाई, 2019 से फर्म का विघटन कर दिया गया है। फर्म के ऊपर किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं है।

बालचन्द्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स आर्या कन्सट्रक्सन, 139, पी0एल0 शर्मा रोड, मेरठ-250001 की साझीदारी में श्री राकेश कुमार, श्री राम अवतार, श्री अशोक कुमार एवं श्री प्रमोद कुमार साझीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2009 को श्री विपिन कुमार फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये हैं तथा श्री राम अवतार, श्री अशोक कुमार, श्री प्रमोद कुमार फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को श्रीमती साधना कंसल फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुई हैं तथा श्री विपिन कुमार फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। अब वर्तमान में फर्म में श्री राकेश कुमार एवं श्री साधना कंसल साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राकेश कुमार,
साझीदार,
मेसर्स आर्या कन्सट्रक्सन,
139, पी0एल0 शर्मा रोड, मेरठ-250001

NOTICE

Ashutosh Sharma S/o Ghanshyam Sharma, R/o 162 Aradhna, Eldeco-1 Colony, Aashiana, Lucknow, U.P. have changed my name to Aasutosh Sharma for all future purposes.

AASUTOSH SHARMA.

सूचना

मैं, योगेन्द्र सिंह थापा पुत्र राम बहादुर F.N.-203 राजरानी अपार्टमेन्ट सी-970/71 सेक्टर-B थाना महानगर, लखनऊ से अपना नाम योगेन्द्र सिंह कर रहा हूं। भविष्य में मैं इसी नाम से जाना पहचाना जाऊंगा।

योगेन्द्र सिंह।

पी0एस0यू0पी0–20 हिन्दी गजट–भाग 8–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।